असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 दिसम्बर, 2021

सप्तदश विधान सभा 01 दिसम्बर, 2021 ई0

---------- बुधवार, तिथि ----------

चुतर्थ सत्र 10 अग्रहायण, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

पोस्टर को हटा लें । अब प्रश्नोत्तर काल होंगे ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0), सी0पी0आई0, ए0आई0एम0आई0एम0 एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, अब अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण....

(व्यवधान)

कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, अपने स्थान पर जायें पहले । सभी माननीय सदस्य से आग्रह है

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जायें उसके बाद विषय को रखने का अवसर मिलेगा अलग-अलग नियम के हिसाब से ।

(व्यवधान)

अब सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जायें, उसके बाद ही न कोई बात सुनेंगे । अपने-अपने स्थान पर जाईए ।

(व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जाकर बोलेंगे, हम संज्ञान में लेंगे । चलिये बैठ जाईए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल इस विधायिका यानी विधान मंडल का हिस्सा हैं, इनके विरूद्ध टिप्पणी उचित नहीं है । आप उचित माध्यम से अपनी बात उठा

सकते हैं । अभी प्रश्नकाल है । माननीय सदस्यगण बैठ जायें । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री भाई वीरेन्द्र ।

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, विषय गंभीर है...

अध्यक्ष: अच्छा बताईए, क्या है विषय ?

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर कल वरिष्ठ सदस्य भाई वीरेन्द्र जी के द्वारा...

अध्यक्ष: शून्यकाल के बाद विषय को रखेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप सभी जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, वह प्रशंसनीय है । यह लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है । आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादापूर्वक अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार शत-प्रतिशत प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, यह विधायिका, कार्यपालिका और करोड़ों बिहारवासियों के लिए गर्व का विषय है । इसकी सकारात्मक चर्चा और प्रचार होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दबकर रह जाती हैं । सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है । हमारा नैतिक कर्त्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों को होना चाहिए । कल की घटना जो बाहर में दो माननीय सदस्यों के बीच घटित हुई है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारे सदन द्वारा माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता और सरकार की सहजता के कारण शत-प्रतिशत समय का उपयोग हुआ और शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया । इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी, पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो शत-प्रतिशत प्रश्नों का, शत-प्रतिशत समय का सदुपयोग कर रहे हैं लेकिन ये चर्चा दब गयी, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी, इससे हमारी आपकी छवि देश के अन्दर क्या बनेगी, लोग क्या सोचेंगे, अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, हम भी तो लंबे समय से आ रहे हैं लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रही है इससे सदन की गरिमा गिर रही है और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है, लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के समय और विश्वास पर हम खरा उतरें और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है ।

हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जन प्रतिनिधियों को अग्निपरीक्षा देनी पड़ रही है । चारों तरफ से विभिन्न तरह की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी हैं इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा । हमें कलंकित करने के लिए नित्य नये-नये प्रयास हो रहे हैं । यह बिहार विधान सभा परिसर से शुरू हुई घटना भी उसी की एक कड़ी है । इस तरह की घटना कहां तक जायेगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं । इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें । इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी, आपकी छवि धूमिल होगी बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधान सभा की छवि धूमिल होगी और आगे भी होती रहेगी इसलिए ऐसी घटना न घटित हो, यह हम सबों की जिम्मेवारी है । यह ध्यान रखें, एक अंतिम आग्रह है और खासकर नये सदस्य जिस शालीनता मर्यादा के साथ अपने वरिष्ठतम लोगों से सीखते और देखते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है । हम शेर की सवारी कर रहे हैं, राजनीति पूरी तरह से शेर की सवारी है । जबतक आप नैतिक मूल्यों पर, जनता के विश्वास पर राज्यहित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को सहजता के साथ सतर्क कर के काम करायेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी (क्रमशः)

टर्न-2/मधुप/01.12.2021

...क्रमशः...

अध्यक्ष : अगर हम इससे भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा । संविधान की गरिमा गिर जायेगी, हम सब तार-तार हो जायेंगे । आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यह आने वाला इतिहास आपलोगों के ऊपर गर्व महसूस करेगा ।

इसलिए सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें । इस सदन से फिर से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाय । आइये हम सब मिलकर संकल्प लें और कोई विषय है, कोई नकारात्मक चर्चा या विषय है तो आप शालीनता के साथ रखें । कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हमलोग इस विषय पर विचार करेंगे, कल हमलोग बैठेंगे ।

आज विधान सभा की गरिमा गिरे, किसी माननीय विधायक की आपस में व्यवहार से गरिमा गिरे या किसी विधायक पर कोई गलत आरोप लगा दे तो हर विधायक की जिम्मेवारी है क्योंकि यहाँ बैठे हैं तो एक परिवार के रूप में हैं । बिना सोचे, समझे, जाने, बिना सच्चाई की जानकारी प्राप्त किये हम कुछ भी बोल दें, यह

हमारा आग्रह है कि ऐसा न करें । क्योंकि एक परिवार की तरह हमलोग यहाँ बैठे हैं, आज समिति में जाते हैं, सब भूल जाते हैं, दलगत भावना से उपर उठकर आपस में मिलकर रहते हैं, इसलिए आग्रह है कि सब इस गरिमा को बनाये रखें । कोई पूछ बैठा, किसी के बारे में गलत आरोप, कुछ भी बयान दे रहे हैं बिना जॉंचे-परखे ! सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ी-सी शालीनता और मर्यादा को बनाये रखें कि जितने भी विधायक हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई हैं और सबकी मर्यादा बचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है क्योंकि विधायिका के बारे में पहले ही बहुत काफी नकारात्मक वातावरण लोगों ने एक षडयंत्र के तहत बना रखा है । आगे यह न बढ़े, यह हम सबकी जिम्मेवारी है ।

अब भाई वीरेन्द्र जी, अपना प्रश्न पूछें ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-9 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0- 187, मनेर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : जवाब दिया हुआ है, हुजूर । पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछें ।

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक है । वस्तु स्थिति यह है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है । मजदूरी मद की शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है ।

मनरेगा योजना अंतर्गत वर्तमान में मजदूरी का भुगतान Ne FMS के माध्यम से किया जाता है, जिसका 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति केन्द्रांश से ही होता है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही स्वीकृत एवं सृजित मानव दिवस के आधार पर केन्द्रांश का आवंटन एवं विमुक्ति की जाती है । पर्याप्त केन्द्रांश के आवंटन एवं विमुक्ति के अभाव में मजदूरी मद का भुगतान दिनांक 03.09.2021 से लंबित है ।

इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रांश विमुक्ति हेतु पत्रांक 621608, दिनांक 02.11.2021, पत्रांक 632984, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्रांक 1278, दिनांक 25.11.2021 के द्वारा लगातार अनुरोध किया जाता रहा है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शीघ्र राशि विमुक्त करने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः मजदूरी मद में केन्द्रांश विमुक्ति के उपरांत ही श्रमिकों को मजदूरी राशि का भुगतान स्वतः प्रारंभ हो जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है । सरकार ने कहा लेकिन 260 करोड़ की राशि उनलोगों का बकाया है । जो मजदूरों को मजदूरी देना है, 260 करोड़ रूपया बकाया है, सरकार पहले स्पष्ट करे कि आखिर 260 करोड़ रूपया क्यों बकाया है?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई वीरेन्द्र जी के प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि मनरेगा के मजदूरों का कितना मजदूरी बकाया है और भारत सरकार को हमने स्मारित किया है, जो मनरेगा के मजदूरों का बकाया राशि है, स्मारित किया है कि जल्द से जल्द मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के लिए आप राशि विमुक्त कीजिए ।

जो मजदूरी है मनरेगा के मजदूरों का महोदय, वह सीधे भारत सरकार से विमुक्त होता है । मैंने अनुरोध किया है, तीन पत्र भारत सरकार को लिखा है । हमको लगता है कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज हो जायेगा और बकाया राशि का भुगतान हो जायेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, चूंकि 03.09.2021 से पैसा बकाया है और जब मैंने क्वेश्चन डाला उसके बाद से सरकार ने पत्र लिखा केन्द्र सरकार को, तीन महीने हो गए । तीन महीने बाद ये पत्राचार कर रहे हैं तो यह गरीबों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ? अगर ये चाहते कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो उनको 100 दिन काम मिलना था, उनके मजदूरी का भुगतान हो तो सरकार सजग रहती तो तीन महीने बैठती नहीं ।

इसलिए सरकार की यहॉ गलती है और तीन महीने तक कोई पत्राचार नहीं किया, तीन महीने बाद पत्राचार करने का काम किया । यह सरकार कबतक उनको बकाये पैसे का भुगतान करायेगी ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है और हमने कहा है कि शीघ्रातिशीघ्र मजदूरों के बकाये राशि का भुगतान किया जायेगा और हमने जो 15 दिन के अन्दर मजदूरी का भुगतान किया है, महोदय, 76 प्रतिशत उसमें हमारी उपलब्धि है । जैसे ही भारत सरकार से पैसा मिलेगा, जो जानकारी मिली है, हमने बात भी किया है, हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पैसा मिल जायेगा और मजदूरों का मजदूरी का भुगतान हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द भुगतान करायेंगे । मजदूर मजदूरी करता है, शाम को भोजन करता है, कहॉ से करेगा ? तीन महीने से उसको पैसा नहीं मिल पाया है और सरकार कहती है कि शीघ्रातिशीघ्र हम करने का काम करेंगे । हुजूर, यह डबल इंजन की सरकार है, अब कमी क्यों है ?

अध्यक्ष : अब श्री नीतीश मिश्रा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नहीं, हुजूर । थोड़ा इसपर जवाब दिलवाया जाय ।

अध्यक्ष : जल्द से जल्द कहा है, माननीय मंत्री जी ने गम्भीरता से लिया है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, डबल इंजन की सरकार है, शीघ्रातिशीघ्र नहीं, समय-सीमा बतायें ।

अध्यक्ष : अब सारा फाइटर विमान डबल इंजन का ही रहता है । अब नीतीश मिश्रा जी ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्यों की भावना से सरकार चिन्तित है, महोदय । सदन जब 3 तारीख को बंद होगा, तो मैं फर्स्ट वीक में दिल्ली जाकर माननीय मंत्री से और वहॉ के अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द पैसा विमुक्त कराकर भुगतान कराउंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब समय-सीमा तो बोल दिया । सदन समाप्त होते ही मंत्री जी जायेंगे ।
श्री नीतीश मिश्रा जी । माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 10 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0- 38, झंझारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : आंशिक रुप से स्वीकारात्मक । डोमेन स्किल योजना राज्य सरकार के 16 विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही है । बिहार स्किल डेवलेपमेंट द्वारा योजना से संबंधित नीति निर्धारण, पोर्टल प्रदान करना, समय-समय पर केन्द्रों का मोनेटरिंग करना आदि का कार्य किया जाता है । इस योजनान्तर्गत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन देने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग से जुड़े प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों की होती है ।

2- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक । श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्किल डेवलेपमेंट मिशन की वेबसाईट एचटीटीपी स्कील मिशन बिहार ओ आर जी (http://skillmissionbihar.org) में दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	पंजीकृत	मूल्यांकन	प्रमाणित	रोजगार प्राप्त
1.	डोमेन स्किलिंग	99247	54215	50762	6200
2.	आर0टी0डी0	3309	560	509	348
3.	पी0एम0के0वी0वाई0	8004	3506	3107	634
4.	आर0पी0एल0	4008	1119	1059	0
	कुल -	114568	59400	55437	7182

नोट: आर0पी0एल0 में रोजगार प्रदान करने की बाध्यता नहीं है ।

डोमेन स्किल योजना की सफलता हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करने की योजना है:-

1. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा लागू नियमावली के अनुसार किसी भी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी को जो प्रशिक्षण राशि भुगतान की जाती है उसका शेष 20 प्रतिशत राशि केवल नियोजन देने एवं नियोजनोपरांत tracking पर ही दिया जाता है, नियोजन न देने की स्थिति में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है । आने वाले समय में नियोजन देने की गति को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का नियोजन देने के प्रदर्शन पर ग्रेडिंग किये जाने की योजना है । उच्च ग्रेड वाले प्रशिक्षण केन्द्रों को ही भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत कार्य आवंटित किया जाना प्रस्तावित है ।

2. नियोक्ताओं को आमंत्रित करने हेतु देश के विभिन्न औद्योगिक क्लस्टरों में रोड शो करने की योजना बनाई जा रही है ताकि उनके अधिक से अधिक भागीदारी हो सके, जिससे कि नियोजन देने की गति को बढ़ावा मिले ।

3. विभाग द्वारा बिहार रोजगार पोर्टल का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि देश-विदेश के विभिन्न नियोक्ता इस पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया करा सकें ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त है । मैं उन्हीं के उत्तर से कुछ पूरक पूछना चाहूँगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, अब आप बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सरकार पूरी तरह गम्भीर है और गम्भीरता को देखते हुए मैंने कहा कि मैं भारत सरकार में जाऊंगा और विभाग के माननीय मंत्री से, विभाग के अधिकारियों से बात करके पैसा जल्द से जल्द मजदूरों का भुगतान करायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, अब बैठ जाइये । उन्होंने कहा कि सदन समाप्त होते ही ये दिल्ली जायेंगे, इस मामले को गम्भीरता से ले रहे हैं ।

विपक्ष सजग रहेगा तो सरकार को सहूलियत होगी । (व्यवधान) बैठ जाइये । सत्यदेव जी, बैठ जाइये । ललित जी, अब इस प्रश्न को होने दीजिए । पूरक प्रश्न पूछिये, नीतीश मिश्रा जी । (व्यवधान) सत्यदेव जी, बैठ जाइये ।

श्री नीतीश मिश्रा : राज्य सरकार ने 2010 में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना की और अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राज्य के युवाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में राज्य सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था । 2016 में, माननीय मंत्री जी अवगत होंगे, एक सिचुएशनल एनालिसिस विभाग द्वारा किया गया, उसमें यह पाया गया कि तीन-चार वर्षों में 5 लाख ही युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सका है । उसके बाद पुनः सरकार ने यह तय किया कि आने वाले समय में हम 1 करोड़ के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे तो 15 विभागों के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

मेरा प्रश्न मुख्यतः डोमेन स्किलिंग पर था, मंत्री जी ने विस्तार से अन्य जो ट्रेड हैं, उसपर भी बताया है । चिन्ता का विषय यह है अध्यक्ष महोदय, और जो मेरा पूरक है कि जो संख्या अगर देखेंगे उत्तर में, जितने लोग रजिस्टर्ड हुए, जितने लोगों ने कोर्स कम्पलीट किया, जिनका सर्टिफिकेशन हुआ, उसमें जो डिफरेंस है, वह एक चिन्ता का विषय है और जिनको रोजगार हमको देना है डोमेन स्किलिंग में उत्तर में है कि हम 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर लेते हैं, यह मायने नहीं रखता है क्योंकि आप 100 रूपये खर्च कर रहे हैं, 80 रूपया आपने खर्च कर दिया है, 20 रूपया आपने रोक दिया है क्योंकि उनको वे नौकरी नहीं दिला सके हैं । तो आने वाले समय में 1 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति कैसे विभाग कर सकेगा और उसमें जब डोमेन स्किलिंग में यह प्रावधान है कि हमको उनको रोजगार भी देना है, तो उसमें विभाग.....

अध्यक्ष : पूरक क्या है ? आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो 1 करोड़ इनकी उपलब्धि रही है तो 1 करोड़ युवाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य को ये कबतक प्राप्त कर लेंगे और उन 1 करोड़ युवाओं में जिनको डोमेन स्किलिंग में ट्रेंड करना है उनमें कितने को ये रोजगार देंगे ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है लेकिन बीच में 2 साल हमलोग कोरोना काल से ग्रसित रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप उधर मत देखिये, इधर देखिये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, बीच में कोरोना काल से हम सभी लोग ग्रसित रहे हैं । जो 55 हजार सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें हमलोगों ने 7182 लगभग 15 परसेंट लोगों को इस कोरोना काल में भी जॉब का प्लेसमेंट दिया है ।

सरकार गम्भीर है, सरकार चिन्तित है और किस प्रकार हम युवाओं को ट्रेंड करें चूंकि माननीय काबिल सदस्य ने जो डाटा रखा है, उसमें थोड़ी-सी कमी है, हमलोगों ने 11 लाख से अधिक लोगों को इसमें ट्रेंड किया है और जो सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें 15 परसेंट लोगों को इस कोरोना काल में भी जॉब देने का काम विभाग के द्वारा डोमेन स्किलिंग के माध्यम से किया गया है ।

मैंने जवाब में विस्तार पूर्वक लिखा है कि ठीक है, 20 परसेंट राशि हमलोग उसका रोकते हैं, इसमें और परिवर्तन हमलोग कर रहे हैं कि हमलोग ग्रेडिंग की व्यवस्था ला रहे हैं, केवल राशि रोकने से काम नहीं चलेगा । जो प्लेसमेंट नहीं देंगे उनको हम इस ट्रेनिंग कार्य से अलग करेंगे ...क्रमशः...

टर्न-3/आजाद/01.12.2021

..... क्रमशः .....

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : और आने वाले दिनों में 'निपुण' जो एजेंसी है, उसके माध्यम से हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको हमलोग हर हालत में पूरा करेंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरे डाटा में गलत है तो मैंने सिर्फ डॉमेन स्कीलिंग की बात की है कि डॉमेन स्कीलिंग में 99247 का जिक्र इन्हीं के उत्तर में है । मैंने कहा कि अन्य का जिक्र इन्होंने किया है, जिसमें 11 लाख लोगों की बात हुई है। मैंने अपने आप को सीमित किया है डॉमेन स्कीलिंग में क्योंकि डॉमेन स्कीलिंग से रोजगार लिंक्ड है । बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे चलते हैं, जिसमें रोजगार देने की बाध्यता नहीं है । मैंने डॉमेने स्कीलिंग की बात की है, माननीय मंत्री जी उसको व्यापक में ले जा रहे हैं और मेरा स्पेशीफिक डाटा इन्हीं के विभाग के वेबसाईट से लेकर दिया है। मैं सिर्फ इतना ही माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार में युवाओं की संख्या काफी अधिक है और इनको विभाग ने जैसे 2016 में एक सिच्यूयेशनल एनालिसिस किया था कि अपनी योजनाओं की समीक्षा की थी कि कहां-कहां कमी हो रही है । 5 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो गई है, मेरा एक सुझाव होगा कि एक समीक्षा फिर ये करें और इस बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ रोड शो कर लेने से या किसी एजेंसी की ग्रेडिंग कर लेने से इस लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पायेंगे और अन्त में एक सुझाव देना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि आने वाले समय में पूरे विश्व में आई0टी0

के प्रोफेशनल की बहुत आवश्यकता होगी और इन्टरनेट से लगभग 125 बिलियन लोग जुड़े रहेंगे विभिन्न माध्यमों से तो एक अनुमान है कि 12.5 करोड़ आई0टी0 प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी और मुझको लगता है कि बिहार उस गैप को पूरा कर सकता है । मेरा निवेदन होगा कि विभाग उस दिशा में भी डॉमेन स्कीलिंग में जरूर विचार करेगा।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : बिल्कुल ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-11 (श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0-83 दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 5171, दिनांक 29.08.2021 द्वारा मुजफ्फरपुर फकुली ओ0पी0 द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान श्री अनिल कुमार, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा से दिनांक 28.08.2021 को स्कॉर्पियों गाड़ी की जांच के क्रम में 18 लाख नगद राशि की बरामदगी होने तथा अग्रेतर कार्रवाई के दौरान 50 लाख रूपये नगद, लैपटॉप एवं अन्य अचल सम्पत्ति के कागजातों की बरामदगी होने की सूचना दी गयी ।

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से सूचना प्राप्त होते ही तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 12.09.2021 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसे तत्काल समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाए जाने के फलस्वरूप आरोप पत्र गठित कर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

आरोपित पदाधिकारी को दरभंगा जिला के पदस्थापन स्थान के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है । उक्त स्थानों पर अन्य पदाधिकारियों का पदस्थापन कर दिया गया है ।

इस मामले में सम्प्रति मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई करने की सूचना दी गयी है ।

उक्त पदाधिकारी सहित अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध समयबद्ध जाँच एवं कठोर कार्रवाई करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है एवं किसी भी आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियमों के तहत जाँच संचालित कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आया हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए । समय नहीं है, कम समय है ।

श्री संजय सरावगी : पूरक ही पूछ रहा हूँ कि विभाग ने स्वीकार किया कि 68 लाख रू0 रिकोवरी हुआ है और 28 अगस्त की घटना थी । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दिया है । दो महीने के बाद, दो महीने तक विभाग में घालमेल करने के लिए रखा गया तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभारमुक्त कब किया गया नम्बर-1 और नम्बर-2 68 लाख रू0 उनके यहां रिकोवरी हुआ तो अभी तक उसपर निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई और हमारी सरकार जीरो टोलरेंस की सरकार है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकार्य योग्य पाये जाने के बाद भी, उनके शो काऊज का जवाब भी अस्वीकार्य योग्य था तो अस्वीकार्य योग्य जवाब प्राप्त होने के बाद भी फलस्वरूप अभी तक निलंबन की एक छोटी सी कार्रवाई होती है, निलंबन की कार्रवाई भी नहीं की गई और दो महीने के बाद 68 लाख रू0 रिकोवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाकर के और दो महीने तक उसको उस पद पर रहने दिया गया और दो महीने के बाद 28 अगस्त की .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए , मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ कि 28 अगस्त की घटना थी, उनको प्रभारमुक्त कब किया गया और अस्वीकार्य योग्य उनका शो कॉज का जवाब था, उसके बाद भी अभी तक कम से कम उनको निलंबन क्यों नहीं किया गया और उनको प्रभारमुक्त कब किया गया, यह मैं पूछना चाहता हूँ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से सदन में सुनियेगा तब न, माननीय मंत्री जी का जवाब ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उनके विरूद्ध नियमानुसार जो भी है, कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : क्या प्राप्त होगा ?

(व्यवधान)

आपलोग शांति से सुनियेगा तब न । क्या प्राप्त होगा ?

श्री जयंत राज, मंत्री : विभागीय कार्यवाही उनपर की जा रही है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि दो महीने बीत चुके हैं और जब उनके साथ साक्ष्य पकड़ाया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई ?

श्री जयंत राज, मंत्री : कार्रवाई की गई है महोदय ।

अध्यक्ष : क्या ? अवगत कराईए सदन को ।

श्री जयंत राज, मंत्री : उसके ऊपर जो है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से सदन में बात सुनिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पर चले गये थे, इस बीच पंचायत चुनाव भी चल रहा था ।

अध्यक्ष : नहीं, यह उचित नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसपर त्वरित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराईए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, रूपया पकड़ाने के बाद भी दो महीने तक उनको हटाया नहीं गया । अध्यक्ष महोदय, 68 लाख रू0 दो स्थानों पर पकड़ाया, 18 लाख रू0 उनके गाड़ी में और 50 लाख रू0 जब पुलिस रेड मारा दरभंगा में उनके भाड़े के मकान में, 50 लाख रू0 तब पकड़ाया और अध्यक्ष महोदय, रूपया पकड़ाने के बाद दो महीने तक वे अधीक्षण अभियंता बने रहें दरभंगा के और दो महीने के बाद वहां पर दूसरे को चार्ज दिया गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का सुन लीजिए । सुदामा जी, बैठिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : दो महीने तक चार्ज में नहीं थे, वे तुरंत मेडिकल लीव पर चले गये थे, इसके बाद उसके जगह पर दूसरे लोगों को वहां पर पदस्थापित किया गया था और उनके ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज हो गया है महोदय ।

अध्यक्ष : यह क्या सच है कि पैसा उनके यहां से पकड़ाया था ?

श्री जयंत राज, मंत्री : जी, महोदय ।

अध्यक्ष : तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके लिए कौन दोषी हैं ? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराईए ।

(व्यवधान)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ...

(इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए । सभी माननीय सदस्यगण, बैठ जाइए । अवध बिहारी चौधरी जी, बोलेंगे, बैठ जाइए, सभी लोग । बैठ जाइए ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : महोदय...

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विभागीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता को बचाने का प्रयत्न कर रहा है तो उसपर भी कार्रवाई होनी चाहिए.....

अध्यक्ष : क्या चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : मेरा प्रश्न है, मुझे बोलने दिया जाय ।

अध्यक्ष : उनका प्रश्न है, उनको बोलने दीजिए । आप सब लोग बैठ जाइए । आप बोलिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, विभाग इसको संरक्षण देने का काम कर रहा है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब लोग पहले बैठिए । माननीय सदस्य बोलिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आप सदन की कमिटी बनाइए और 30 दिनों के अन्दर वो सदन की कमिटी आपको रिपोर्ट दे और चूँकि विभाग पर विश्वास नहीं है, विभाग इस पदाधिकारी को संरक्षण दे रहा है ।

अध्यक्ष : ठीक है, सदन की कमिटी बनेगी और सदन को उसकी जॉच करके अवगत करायेगी । अब बैठ जाइए ।

माननीय सदस्यगण, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से जुड़ा हुआ मामला है यह । सदन गंभीरता से लेगा और आपलोगों को यह आश्वस्त करते हैं कि इस तरह का मामला जो प्रमाण के साथ आयेगा तो सदन बहुत गंभीर है ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : सुदामा जी, अब आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, जब विधान सभा कमिटी जॉच करके सदन को रिपोर्ट देगी, उसके बाद एक्शन होगा । अब आप बैठ जाइए ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-144 (श्री कुमार सर्वजीत,क्षेत्र सं0-229,बोधगया(अ0जा0)</u>

अध्यक्ष : आपलोग शांति बनाये रखे, शांति से सुने, सदन शांति से प्रश्नकाल को चलाने में सहयोग करे । बोलिए, माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : स्वीकारात्मक है ।

प्रश्नगत पथ में दराबचक बसावट असम्पर्कित है, जिसे ऐप के माध्यम से अनजुड़े बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु हैबीटेशन ऐप से सर्वे करा ली गई है, जिसका सर्वे आई0डी0 संख्या-22179 है । समीक्षापरोन्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि यह हैबीटेशन ऐप से 2019 में ही जुट गया है, सिर्फ माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि छूटे हुए बसावट बनाने के लिए बैंक से कर्ज प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इतना ही जानकारी दे दें तो मैं समझ जाऊंगा कि यह बन पायेगा कि नहीं बन पायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : बैंक से कर्ज प्राप्त होने की प्रक्रिया में है महोदय, जल्द वह कर्ज मिल जायेगा।

टर्न-4/शंभु/01.12.21

तारांकित प्रश्न सं0-145(श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-137 मोहिउद्दीनगर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार सिंह मोहिउद्दीनगर के विधायक हैं । 17वीं बिहार विधान सभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं, इस विधान सभा में यह उनका पहला प्रश्न है । आपको बधाई और माननीय सदस्यगण, आपकी सहमति हो तो 17वीं विधान सभा में चार सत्र चला है जो सदस्य एक भी प्रश्न नहीं किये हैं उनका प्रश्न पीछे रह जाता है तो उनको हमलोग प्राथमिकता देकर पहले बुला दें, अगर सदन की सहमति हो तो ।

श्री ललित कुमार यादव : समय बढ़ा दीजिए ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, उसी के अंदर आगे-पीछे करना पड़ेगा । ललित बाबू, आपको तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा नये सदस्यों के लिए । बैठ जाइये । अब ये हैं और एकमात्र सदस्य राजकुमार जी मटिहानी के हैं । ये दो ही सदस्य हैं जो पहली बार वर्ग तीन में- वर्गवार चलिए माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी अच्छी परंपरा की शुरूआत आप कर रहे हैं कि जो पहली बार जीतकर आये हैं उनको विशेष अवसर दे रहे हैं तो ये जो पुराने माननीय सदस्य हैं ये तो हमेशा चहकते रहते ही हैं और फिर अवसर मिलेगा तो चहकेंगे ही । यह तो अच्छी परंपरा की शुरूआत है सत्तापक्ष हो चाहे विपक्ष हो सभी में नये सदस्य हैं उनको अवसर मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । नये सदस्यों के प्रति आपकी सहानुभूति है, गंभीरता है बैठ जाइये ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के ताराधमौन पंचायत के अन्तर्गत बाया नदी से ताराधमौन चौर से नाला हरपुर शैदाबाद ग्राम के पास प्राकृतिक नाला में मिल जाता है । धमौन चौर में जल जमाव की स्थिति है ।

मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक-3989, दिनांक- 29.11.2021 द्वारा प्रश्नगत चौर से जल निकासी हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह : ये 1978-79 में नहर के लिए भी जमीन का कुछ मुआवजा दिया गया था नहर बनाने के लिए उससे संबंधित कुछ जवाब नहीं दिया गया है । इसलिए अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है वह रिपोर्ट सही नहीं है । इसलिए कब तक ये चीज हो पायेगा, कब तक आपकी टीम इस बात का जवाब देगी, चूंकि मोहिउद्दीनगर विधान सभा का दो तिहाई क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ है और कृषक भूमि हजारों हेक्टेयर अभी तक पानी से डूबा हुआ है तो कब तक इसकी पूरी तैयारी होगी और कब तक आपकी टीम रिपोर्ट करेगी ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : जो इनका प्रश्न था उसी का मैंने जवाब दिया है । ऐसा उनके प्रश्न में कोई बात नहीं थी कि पुराना कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही इसका रिपोर्ट हम मंगवा लेंगे ।

अध्यक्ष : उनको संतुष्ट कर दीजिएगा ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : जी ठीक है, संतुष्ट कर देंगे ।

अध्यक्ष : अब दूसरे विधायक श्री राज कुमार सिंह । उत्तर संलग्न है पूरक पूछ लीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-227(श्री राजकुमार सिंह, क्षेत्र सं0-144 मटिहानी)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिला के बरौनी प्रखंड अन्तर्गत बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से कौवाकोल तक रिंग बांध बनाने हेतु गठित विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण किया गया । विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आलोक में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से मटिहानी ढाला तक रिंग बांध के निर्माण कार्य हेतु टोपोग्राफिकल सर्वे और अन्य संबंधित हाइड्रोलोजिकल पारामीटर के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है । मटिहानी ढाला से कौवाकोल तक पूर्व से निर्मित गुप्ता लखमिनिया बांध और नदी के बीच कम दूरी रहने एवं घनी आबादी होने के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इस संबंध में रिंग बांध का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है । उक्त घनी आबादी को नदी के कटाव से बचाने हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक-4028, दिनांक-30.11.21 द्वारा योजना तैयार कर विभाग में समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो रिंग बांध प्रस्तावित है क्या सरकार मानती है कि इस रिंग बांध के हो जाने से न सिर्फ मटिहानी विधान सभा के 10 पंचायत को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति मिलेगी

बल्कि बेगूसराय शहर को भी और औद्योगिक क्षेत्र को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और अगर ऐसा मानती है तो इस रिंग बांध का निर्माण कितनी जल्दी कराने का आश्वासन देती है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय विधायक भी इंजीनियर के साथ स्पोर्ट पर गये थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ के समय वहां जाकर देखे थे और लोगों के साथ बात आयी थी कि यहां पर रिंग बांध बनना चाहिए । उसी दिन शाम में माननीय विधायक भी जाकर के खुद जो हमारे विभाग के इंजीनियर हैं उनके साथ देखे थे और वहां से जो कुछ रिपोर्ट आया है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिला के बरौनी प्रखंड अन्तर्गत बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से कौवाकोल तक रिंग बांध बनाने हेतु गठित विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण किया गया । विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आलोक में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से मटिहानी ढाला तक रिंग बांध के निर्माण कार्य हेतु टोपोग्राफिकल सर्वे और अन्य संबंधित हाइड्रोलोजिकल पारामीटर के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार कर विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। मटिहानी ढाला से कौवाकोल तक पूर्व से निर्मित गुप्ता लखमिनिया बांध और नदी के बीच कम दूरी रहने एवं घनी आबादी होने के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इस संबंध में रिंग बांध का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उक्त घनी आबादी को नदी के कटाव से बचाने हेतु मुख्य अभियंता, समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक-4028, दिनांक-30.11.21 द्वारा योजना तैयार कर विभाग में समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

श्री राज कुमार सिंह : माननीय मंत्री महोदय, क्या इस रिंग बांध के विकल्प के रूप में स्थायी जो बाढ़ से उनका अभी भी कटाव वहां पर जारी है तो उसके लिए स्थायी व्यवस्था कराने का.....

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : बिलकुल उसका स्थायी व्यवस्था कराने के लिए हमने कहा है लेकिन रिंग बांध का प्रस्ताव क्योंकि डेन्स पोपुलेशन है वही रिपोर्ट आया उसको हमने ऑल्टरनेटिव एरेंजमेंट करने के लिए कहा है ।

अध्यक्ष : चलिए, सदन का आभार है कि एक नयी परंपरा शुरू हो रही है । यह जानकारी मैं दे दूँ और यह जानकारी आवश्यक है कि माननीय सदस्य हमारे कुछ ऐसे हैं तो आज तक इस वर्ग में एक भी प्रश्न नहीं किये हैं- अनिल कुमार साहनी जी, श्री अरूण कुमार सिंह, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी, श्री कौशल किशोर, श्री कृष्ण मुरारी शरण जी । मैं इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ मैंने इसलिए इस परंपरा की शुरूआत की कि प्रश्न करते हैं पीछे आ जाते हैं

उनको मौका ही कभी नहीं मिलता है । ऐसे जो नये सदस्य हैं उनको अवसर मिले और मैं दलीय नेताओं से भी आग्रह करूँगा कि अपने-अपने दल से पहली बार निर्वाचित माननीय सदस्य को सदन में होनेवाले वाद-विवाद एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें । यह आवश्यक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-146(श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र सं0-25 परिहार)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड अन्तर्गत नेपाल से आनेवाली मरहा नदी की धारा लहुरिया गांव के निकट परिवर्तित हुई थी जिसे बाढ़ 2021 अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था ।

2- नयी धारा को पुरानी धारा में परिवर्तित करने हेतु कटाव निरोधक कार्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा एजेंडा सं0- 180/153/2022 के तहत अनुशंसित है जिसपर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : पूरक पूछ रही हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे प्रश्न का स्वीकारात्मक जवाब दिया है । मैं पूछती हूँ कि परिहार प्रखंड के लहुरिया ग्राम होकर बहनेवाली हरदी नदी की कई नयी धारा को पुरानी धारा में बदलने का काम कब तक होगा । इसी वित्तीय वर्ष में करा देंगे ?

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड अन्तर्गत नेपाल से आनेवाली मरहा नदी की धारा लहुरिया गांव के निकट परिवर्तित हुई थी जिसे बाढ़ 2021 अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था । नयी धारा को पुरानी धारा में परिवर्तित करने हेतु कटाव निरोधक कार्य तकनीकी सलाहकार समिति के तहत अनुशंसा आ गया है जिसपर इम्मीडियेटली कार्रवाई हो जायेगी ।

श्रीमती गायत्री देवी : मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन समय-सीमा तो बता दीजिए ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : जो कुछ उसमें आयेगा, हमारे ख्याल से छः महीना का होता है उसी में काम हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-147(श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0-146 बेगुसराय)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिलान्तर्गत बेगुसराय प्रखंड के मोहनपुर ग्राम में बूढ़ी गंडक दायां तटबंध के कि0मी0 41 से कि0मी0 42 के बीच स्लुइस गेट निर्मित है ।

2- किल्ली पहाड़पुर में जल जमाव का पानी भी मोहनपुर अवस्थित स्लुइस गेट से बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित हो जाता है ।

3- उपरोक्त खण्ड में वर्णित ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, मेरा पूरक है सरकार ने जवब दिया है कि जो स्लुइस गेट मोहनपुर में बना हुआ है उसी से किल्ली, पहाड़पुर में जो जल जमाव होता है उसका पानी निकल जाता है । मेरा यह कहना है कि जो मोहनपुर में स्लुइस गेट बना हुआ है वह 60 और 70 के दशक में बना था, पर 60 और 70 से 2020 के बीच में वहां कई घर बन गये उसपर लोगों का वास हो गया तो क्या सरकार चाहती है कि किल्ली पहाड़पुर में नया स्लुइस गेट बनाया जाय ।

टर्न-5/पुलकित/01.12.2021

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के किल्ली, पहाड़पुर पर स्लूईस गेट नहीं है । उसके जवाब में मैंने कहा कि वहां पर स्लूईस गेट है । अगर इसके अलावा किसी अल्टरनेट स्लूईस गेट की बात कर रहे हैं तो हम अलग से दिखवा देंगे ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, अल्टरनेट नहीं है । मैं मोहनपुर किल्ली, पहाड़पुर की ही बात बोल रहा हूं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : आपने जो पूछा था कि यहां पर स्लूईस गेट नहीं है ।

श्री कुंदन कुमार : सर, मैंने लिखा है कि किल्ली, पहाड़पुर में पानी, जल-जमाव होता है और इस बार जो जल-जमाव हुआ है अभी तक उसका पानी नहीं निकला है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : पहला आपका जो ....

अध्यक्ष : ठीक है, एक बार आप दिखवा लेंगे । मंत्री जी कहे हैं कि एक बार आप मिलकर भी दिखवा लीजिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वैसे भी इनके प्रश्न में है कि स्लूईस गेट नहीं है । स्लूईस गेट है लेकिन....

तारांकित प्रश्न सं0- 148 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0- 33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है ।

आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.439 कि0मी0 है, जो एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृत है । एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.05.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 12.02.2016 है । पथ में 739 मीटर में पी0सी0सी0 का कार्य एवं शेष 700 मीटर में WBM Gr. III का कार्य पूर्ण करा लिया गया है । कालीकरण कार्य दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करा लिया जायेगा । निर्धारित समय तक कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को डिबार किया गया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेढ़ किलोमीटर से कम की यह सड़क है । इसे 7 वर्ष लग गया है बनने में, अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और इस नाम पर केवल संवेदक को डिबार करके छोड़ दिया गया है । महोदय, डिबार कोई पनिशमेंट नहीं है वह अपने नाम को छोड़कर पत्नी के नाम से, बेटा के नाम से लाइसेंस बनाकर अपना काम करना शुरू कर देता है तो संवेदक पर कौन-सी कार्रवाई करना चाहते हैं । इस तरह की कम से कम दर्जनों सड़कें मेरे प्रखंड में हैं जो छह-छह, सात-सात, आठ-आठ वर्ष से उसका काम पूरा नहीं हुआ । वहां की जनता तबाह है बरसात के समय उसकी हालत दयनीय हो जा रही है और 14-14 सड़कें तो ऐसी हैं जिसका....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लम्बी अवधि तक काम नहीं करने वाले संवेदक और विभागीय अधिकारी पर कोई समुचित कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संवेदक को अभी डिबार किया गया है और संवेदक ने समय लिया है कि कालीकरण का कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूरा कर देंगे और जब डिबार की कार्रवाई की जाती है उसके बाद जब संवेदक काम नहीं करते हैं तो उसे काली सूची में डाला जाता है और वह बिल्कुल उस विभाग में कोई काम न लें ऐसा ही विभाग का प्रावधान है । यह किया जाता है अगर वह दिसम्बर तक पूरा नहीं करेंगे तो उसे काली सूची में डाला जायेगा और कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0- 149 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल पर 5 मीटर लम्बी पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत वर्ष 2008 में किया गया था । पुलिया के एक तरफ पहुंच पथ की लम्बाई 550 मीटर है, जो आंशिक कच्ची एवं ईंटीकृत है, जिसमें 250 मीटर निजी भूमि है तथा दूसरी तरफ पहुंच पथ की लम्बाई 450 मीटर है, जिसमें 200 मीटर पी0सी0सी0 एवं 250 मीटर निजी भूमि है। पुलिया पथ आरेखन से 20 मीटर हटकर बनाया गया है, जिससे कोई आवागमन नहीं है । पुलिया के ठीक सामने ग्रामीणों द्वारा शिव मंदिर एवं महावीर मंदिर बना दिया गया है, जिसके कारण पहुंच पथ बना भी दिया जाय तो आगे का रास्ता बंद ही रहेगा ।

अस्वीकारात्मक है । हरपत बेनी नदी के एक तरफ स्थित मंझरिया ग्राम को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत मर्जदवा से बलिरामपुर पथ का निर्माण किया गया है तथा दूसरी तरफ स्थित पकुहवा ग्राम को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत मैनाटांड से पकुहवा पथ का निर्माण किया गया है । उक्त दोनों पथ का निर्माण स्वीकृत आरेखन के अनुसार ही किया गया है एवं आरेखन में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।

उपर्युक्त खंड-1 एवं खंड-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है तो जवाब में जो बातें आई हैं 2008 में हरपत बेनी नदी पर मैनाटांड प्रखंड में एक पुल बना था जिसका एप्रोच पथ अभी तक नहीं बना है । जवाब में जो बात है कि एप्रोच पथ के जो पुल हैं उसके सामने एप्रोच पथ में मंदिर बना दिया गया है इसलिए वहां पर एप्रोच पथ नहीं बनेगा । इस रूप में यह जवाब दिया गया है तो हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि तब वह जो पुल बना है जिसका 20 मीटर आरेखन था उससे अलग हटकर बनाया गया है । उसके जो दोषी लोग हैं जो आरेखन से अलग हटकर के पुल बनाये उसपर वह कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे ।

दूसरा हमारा प्रश्न है कि उस एप्रोच पथ के नहीं बनने से पुल बनने के बावजूद लोगों को 10 किलो मीटर दूरी तय करके मर्जदवा स्टेशन पर जाना पड़ता है। मैनाटांड प्रखंड की लाखों की आबादी को जाना पड़ता है और इस रूप में आवाजाही चलती है । तब सवाल यह बनता है हमारा मंत्री जी से सवाल है कि क्या 10 किलोमीटर की दूरी उनको हमेशा तय करनी पड़ेगी । मंत्री जी के जवाब से तो ऐसे ही लगता है कि 10 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी । अपने रेलवे स्टेशन पर प्रखंड के लाखों लोगों के आने-जाने के लिए तो एक हमारा यह प्रश्न है

और फिर उसके बाद हमारा एक तीसरा प्रश्न है कि मंदिर के बगल में कुछ खाली पड़ी जमीन है उसका वैकल्पिक रास्ता बनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : क्या सरकार उसका वैकल्पिक रास्ता बनाकर के पुल को चालू करेगी या नहीं करेगी ये हमारे तीन प्रश्न हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मैनाटांड की भूमि की पैमाइश हेतु अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है जैसे ही अंचलाधिकारी के द्वारा जवाब आ जायेगा कि यह भूमि किसे पड़ती है, कितनी पड़ती है तो उसके बाद हमलोग उसको सतत लीज पर भी लेकर उस एप्रोच रोड को बनायेंगे ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जवाब में वह जवाब नहीं लिखा गया है कि मैनाटांड, अंचलाधिकारी को लिखा गया है । यह बात नयी हो सकती है लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि वहां यदि जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत पड़े । कुछ गैर मजरूआ जमीन भी दिख रही है यदि ऐसा नहीं होगा, अगर जमीन अधिग्रहण करनी की भी जरूरत पड़े तो सरकार क्या वह 10 किलो मीटर की दूरी खत्म करने के लिए अपने स्टेशन पर जाने के लिए क्या सरकार अधिकृत करके वहां रास्ता बनायेगी, एप्रोच पथ बनायेगी की नहीं ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका जो सवाल है उसमें इनका एक सवाल है कि आरेखन में कोई बदलवा किया गया लेकिन आरेखन में कोई बदलाव नहीं किया गया है । जो आरेखन पहले से था वही आरेखन दिया गया है और सतत लीज की प्रक्रिया अभी चल रही है । जब सतत लीज की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब फिर हमलोग देखेंगे ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पूरी तौर पर हम कह रहे है कि वह आरेखन 20 मीटर अलग था ।

अध्यक्ष : आप एक ही बार सब प्रश्न किये, मंत्री जी एक बार जवाब दे दीजिये । अब बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0- 150 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0-116, तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-449 की ऑनलाईन प्रति एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, छपरा के पत्रांक- 839, दिनांक- 25.11.2021 की

छाया-प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त प्रश्न का संबंध जल संसाधन विभाग से है ।

अतः उक्त प्रश्न जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया जा रहा है, साथ ही इसकी सूचना बिहार विधान सभा को भी दी जा रही है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । मेरे प्रश्न का जवाब आया है ।

अध्यक्ष : जनक जी, आप बोलिये । उधर क्या देख रहे हैं ?

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पिता पुत्र को जन्म देता है और उस पुत्र को लावारिस छोड़ देता है, उसी विषय पर आते हैं ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है पिता, पुत्र से है ?

श्री जनक सिंह : महोदय, उसी विषय पर आते हैं । महोदय, एक पिता, पुत्र को जन्म देता है और उस पुत्र को लावारिस छोड़ देता है । येन-केन-प्रकारेण जब उसके सामने ....

अध्यक्ष : आपका पूरक नहीं है ?

श्री जनक सिंह : उसी पर आते हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये नहीं तो आगे बढ़ जायेंगे ।

श्री जनक सिंह : सर, पिता कहता है कि....

अध्यक्ष : समय कम है ।

श्री जनक सिंह : महोदय, लघु जल संसाधन विभाग का यह नाला है और 30 वर्ष पूर्व उसके द्वारा बनाया गया जिस पर जगह-जगह पर....

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री जनक सिंह : सर, इसको जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है । इसलिए हमने कहा कि पुत्र किसी का और भेजा जा रहा है किसी को, बाप बनाया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आप अलग से मिल लीजिये ।

श्री जनक सिंह : नहीं, सर । क्योंकि 40 वर्षों से हमारे क्षेत्र के ईशुआपुर का विषय है । पूरे ब्लॉक जल से प्रभावित ....

अध्यक्ष : जल संसाधन विभाग जवाब है ।

श्री जनक सिंह : नहीं तो इस प्रश्न का क्या औचित्य है । एक तरफ आप कहते हैं ।

अध्यक्ष : जवाब है । अच्छा जवाब सुन लीजिये ।

श्री जनक सिंह : प्रश्न लघु जल संसाधन विभाग का है उनको जवाब देना चाहिए । 30 वर्ष पहले लघु जल संसाधन विभाग.....

अध्यक्ष : लघु जल संसाधन देगा । जब पिता ही जवाब दे रहा है तो पुत्र के चक्कर में आप क्यों पड़े हुए हैं ?

श्री जनक सिंह : नहीं सर, ऐसी बात नहीं है ।

अध्यक्ष : जवाब पूरी जवाबदेही से दे रहे हैं, सुन लीजिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया विधान सभा के ईशुआपुर प्रखंड के पंचायत रामपुर अटौली, जैथर, केरवा, चकहन के बीच अवस्थित डबरा नदी में मिलने वाला डोइला-गोविंदपुर, नाला के माध्यम से, चौड़ के जल की निकासी डबरा नदी में होती है । विभागीय पत्रांक-4027, दिनांक- 30.11.2021 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण गोपालगंज को वर्णित स्थल का सर्वेक्षण कार्य कराकर जल निकासी एवं तटबंध निर्माण हेतु तकनीकी रिपोर्ट तुरंत करने को निदेशित किया गया ।

अध्यक्ष : चलिये, धन्यवाद दीजिये । अब क्या करियेगा ।

श्री जनक सिंह : महोदय, तीसरा है । तीसरी बार आश्वासन मिला है और आजादी के बाद 40 वर्षों वह ईशुआपुर ब्लॉक....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुन लीजिये आश्वासन समिति बहुत एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है । इसलिए घबराइये मत, बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : आखिर हम जनहित....

अध्यक्ष : मो0 आफाक आलम ।

(व्यवधान)

अब समय कम है । दूसरे सदस्य पर भी आप मेहरबानी करिये ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आफाक साहब की तबीयत ठीक नहीं है । इसी वजह से उन्होंने मुझे प्राधिकृत किया गया है, आपको दिया भी गया है । सर, उनके बदले में मैं बोलना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वही तो देखा जा रहा है । इसलिए तो कहे हैं आश्वासन समिति सक्रिय है वह देख लेगी । आप बोलिये ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे जनक जी जो प्रश्न किये हैं, यहां अंतिम छोर तक पानी आता है सोनपुर और दरियापुर होकर गंगा नदी में । इसमें जनक भाई जो सुझाव दिये हैं उस सुझाव को हमारे माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि डबरा नदी को परसा, दरियापुर होते हुए जो गंडक नदी और गंगा नदी में जाता है उस बांध को निर्माण कराने की कृपा करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, सुझाव ग्रहण कर लिये ।

आप बोलिये ।

टर्न-6/अभिनीत/01.12.2021

तारांकित प्रश्न संख्या-151, मो0 अफाक आलम

(क्षेत्र सं0-58, कसबा)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के आरेखन में अवस्थित बसावटों को छुटे हुए बसावट के तहत संपर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय एप द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है । तद्नुसार समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक मो0 अफाक आलम की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे अधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । इजहारूल हुसैन जी बोलिए ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, जलालगढ़ प्रखंड के पोरा रामदेली पंचायत डुमरा पक्की सड़क से पोरा गांव तक कच्ची सड़क होने से आमजनों को काफी परेशानियां होती हैं, खासकर बरसात के टाईम में बच्चे-बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं काफी दिक्कत है। इसको कबतक बनाया जायेगा इसका आश्वासन दिया जाय ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय एप के द्वारा इसका सर्वे कर लिया गया है तद्नुसार समीक्षोपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, इसको जल्दी कर दिया जाय ।

श्री जयंत राज, मंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : श्री विद्या सागर केशरी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-152, श्री विद्या सागर केशरी

(क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित खेरखां से यादव टोला तक पथ के आरेखन पर अवस्थित है । उक्त पुल के निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबीलिटि रिपोर्ट की मांग संबंधित कार्यपालक अभियंता से की गई है । तत्पश्चात् तकनीकी समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, ये तिरसकुंड पंचायत का और साबर चौक से खेरखां जाने वाली यह रोड है । इस रोड पर जिस पुल का निर्माण होना था वह पुल लंबे समय

से और लंबी दूरी में बनाया गया था लेकिन एक पुल जो अभी वर्तमान समय में था वह पुल भी इस बाढ़ में धंस गया है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, यहां महादलित टोला के हजारों लोगों का आना-जाना रहता है। इसमें हललिया पंचायत, आर0टी0 मोहन पंचायत, तिरसकुंड पंचायत लगभग 4-5 पंचायत के लोग इस पुल से आते-जाते हैं, इसलिए हम माननीय मंत्रीजी से जानना चाहेंगे कि इस पुल का निर्माण कबतक आप करवा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट दिया गया है कि निधि की उपलब्धता के अनुसार उसको प्रॉयोरिटी के आधार पर हमलोग करवायेंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, निधि तो आ ही जायेगी, हजारों-हजार लोगों का आना-जाना होता है, निधि कबतक आयेगी इसकी ?

अध्यक्ष : अब जवाब सकारात्मक आ गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-153, श्री रामबली सिंह यादव

(क्षेत्र सं0-217, घोसी)

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उत्तर सुना दिया जाय । कंप्यूटर में आया है लेकिन लगता है गुजराती भाषा में है ।

अध्यक्ष : गुजराती भाषा में है ?

श्री रामबली सिंह यादव : जी, पढ़ नहीं पाये हैं ।

अध्यक्ष : गुजरात से ज्यादा प्रेम है आपको । देखिए, भाषा बहुत सरल है और हिन्दी भाषा में है । माननीय सदस्यगण, एक बात बता देता हूं बार-बार सरकार और माननीय मंत्री जी को हम, आज भी शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब सभी विभाग का आया है और जब सरकार सजगता से शत-प्रतिशत प्रश्नों का जवाब दे रही है और माननीय सदस्य नहीं देख पाते हैं तो अपने आप में एक बार विचार कर लें आपके जो सचिव, आप्त सचिव या आपके जो पी0ए0 हैं कहां कमी रही है । ये ऑनलाईन आपका जवाब आया हुआ है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, फॉन्ट जो होता है कंप्यूटर में वह नहीं समझ में आया ।

अध्यक्ष : हां, तो उसको देख लीजिए, सुधरवा लीजिए ।

पूरक क्या है आपका ? उत्तर पढ़ दिया जाय माननीय मंत्री ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आपने कहा है कि शत-प्रतिशत जवाब आया है क्या जवाब आया है ? सवाले जिगर, जवाबे जिगर...

अध्यक्ष : वो अलग विषय है...

श्री मो0 नेहालउद्दीन : सवाल कर रहे हैं हम एक का और जवाब दे रहे हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आपका समय आयेगा तो उस समय आप बताइयेगा, उसका भी तो हमने कहा है...

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये आपलोग, जवाब सुन लेने दीजिए मंत्री जी खड़े हैं । बैठ जाइये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । योजना का सर्वेक्षण कराया जायेगा । सर्वेक्षणोपरांत योजना संभाव्य पाये जाने एवं निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, बता दिया जाय कि कब-तक बन जायेगा स्लूईस गेट ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं कि अभी वहां पर सर्वेक्षण कराया गया है, पानी भरा हुआ है पानी सूखने के बाद उसका डी0पी0आर0 बना लिया जायेगा और अगले वित्तीय वर्ष में वह काम करा दिया जायेगा आप निश्चिंत रहें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री शशि भूषण सिंह, सुगौली जब प्रश्नकाल चल रहा है आप बीच में आकर खड़े हो गये हैं । आप खेद व्यक्त कीजिए ।

श्री शशि भूषण सिंह : महोदय, मैं खेद व्यक्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : हाँ, यह चीज नहीं होनी चाहिए । पुराने सदस्य जरा नए सदस्यों को इस तरह की व्यवस्था को थोड़ा जरूर बता दें यह नहीं होना चाहिए ।

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : बताइये, क्या है आपकी व्यवस्था ?

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, जो भी प्रश्न सदन में आता है उसके बारे में पूरक पूछने का हक माननीय विधायकों को आपने दिया है । जो उत्तर आता है वह सिर्फ संबंधित प्रश्नकर्ता को भेजा जाता है और नेट से निकालना इस अल्प अवधि में बहुत मुश्किल है हाउस के दिनों में ।...

अध्यक्ष : थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा ।

श्री अखतरूल ईमान : अगर अवगत नहीं होंगे महोदय तो पूरक कैसे पूछ सकते हैं । व्यवस्था करायी जाय, महोदय ।

अध्यक्षः व्यवस्था पेपरलेस होने जा रहा है, सोच बदलनी होगी ।

श्री अखतरूल ईमानः हर जगह प्रोपर नेट नहीं है व्यवस्था करायी जाय महोदय । हाउस में नेट काम नहीं करता है, आपके प्रागंण में नेट काम नहीं करता है...

अध्यक्ष : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-154, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव

(क्षेत्र सं0-17, पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 3.21 किलोमीटर है । यह नोनिमल चैक से इसमइला होते हुए धपहर सीवान तक जाती है जो कच्ची सड़क है । धपहर सीवान बसावट को संपर्कता प्रदान करने हेतु इस पथ का सर्वेक्षण कार्य छुटे हुए बसावट के अंतर्गत मोबाईल एप से कर लिया गया है । तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि सड़क कच्ची है और लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है और सरकार बनवाना भी चाहती है । महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहेंगे कि उसको कबतक बनवा देंगे एक समय-सीमा निर्धारित कर दें ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पथ का मोबाईल एप के माध्यम से सर्वेक्षण करा लिया गया है । जैसे ही हमलोगों को ब्रिक्स से लोन मिल जायेगा वैसे ही हमलोग इसे प्रॉयोरिटी के आधार पर करा देंगे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-155, श्री पंकज कुमार मिश्र

(क्षेत्र सं0- 29, रून्नीसैदपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत बागमती दायाँ तटबंध ग्राम-जनार कि0मी0 60.90 से ग्राम-तिलकताजपुर कि0मी0 52.428 तक एवं बायाँ तटबंध के ग्राम-कटौझा कि0मी0 54. 60 से ग्राम- खड़का कि0मी0 46.00 तक निर्मित है । तटबंध के टॉप पर ब्रीक सोलिंग पथ निर्मित है । आस-पास बसे ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु इस पथ का उपयोग किया जाता है । इसी वर्ष बाढ़ अवधि 2021 के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के तहत जी0एस0बी0 कार्य कराकर तटबंध को मोटेरेबुल बनाया गया है ।

तटबंध के शीर्ष पर कालीकरण करने हेतु योजना तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा एजेंडा सं0- 180/145/2022 के तहत अनुशंसित है, जिस पर निधि उपलब्धता के आलोक में कालीकरण कार्य पर विचार किया जायेगा ।

श्री पंकज कुमार मिश्रः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तो जवाब भेज दिया है । मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी गये हुए थे उस बांध पर और दोनों बांध पर घूमे थे और देखे थे कि वहां जब से देश आजाद हुआ है उस बांध के अगल-बगल में रहने वाले लोग, करीब दस पंचायत है जिसमें रोड आजतक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन दोनों बांधों पर कालीकरण कराने की कृपा करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत बागमती दायाँ तटबंध ग्राम-जनार कि0मी0 60.90 से ग्राम-तिलकताजपुर कि0मी0 52.428 तक एवं बायाँ तटबंध के ग्राम-कटौझा कि0मी0 54. 60 से ग्राम- खड़का कि0मी0 46.00 तक निर्मित है । तटबंध के टॉप पर ब्रीक सोलिंग पथ निर्मित है । आस-पास बसे ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु इस पथ का उपयोग किया जाता है । इसी वर्ष बाढ़ अवधि 2021 के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के तहत जी0एस0बी0 कार्य कराकर तटबंध को मोटेरेबुल बनाया गया है ।

जहां तक कालीकरण की बात है निधि उपलब्ध होगी तो उस पर काम कराया जायेगा ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अजीत कुमार सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 156, श्री अजीत कुमार सिंह</u>

<u>(क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोन नहर प्रणाली अंतर्गत मुख्य नहर के 17.78 किलोमीटर से डुमरॉव शाखा नहर निःसृत है जिसकी कुल लं0 64 किलोमीटर है । प्रत्येक वर्ष खरीफ सिंचाई के पूर्व आवश्यकतानुसार नहरों में मरम्मती कराकर अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित कराया जाता है । खरीफ सिंचाई 2021 में डुमरॉव शाखा नहर के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य 34990 हेक्टेयर के विरूद्ध शत-प्रतिशत सिंचाई उपलब्धि हासिल की गयी है ।

यथा उपर्युक्त, भूगर्भ जल स्तर से गिरावट के मद्देनजर भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु डुमरॉव शाखा नहर एवं इससे निःसृत वितरण प्रणाली में पक्कीकरण का कार्य विचाराधीन नहीं है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल किया है...

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । एक बात तो यह है कि पहले सवाल का जो जवाब है वह गलत है अगर माननीय मंत्री चाहें तो उसकी जांच करवा लें । हमारे कृषि मंत्री जी भी हमारे ही विधान सभा के तहत आते हैं वही बतायेंगे कि क्या उनके गांव चौगाई में इस बार नहर का पानी पहुंचा था । इसमें दिया गया है कि अंतिम छोर तक खरीफ ओर रवि के पहले पानी पहुंच जाता है जो कि एकदम गलत है । इसकी सही तरीके से जांच करायें बिल्कुल नहीं पहुंचता और इस बार तो एकदम ही नहीं पहुंचा था । दूसरी बात, महोदय मैंने नहर के पक्कीकरण का सवाल उठाया है जिसका जवाब आया है कि अगर पक्कीकरण होगा तो भूगर्भ जलस्तर में कमी होगा और वाटर रिचार्ज नहीं होगा जबकि आज ही के तारांकित प्रश्न सं0-189 का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कैमुर जिला में चार वर्षों से नहरों के पक्कीकरण का काम चल रहा है जो लगभग 100 करोड़ की लागत से हो रहा है । उसमें जानकारी है, सरकार का यह मानना है कि मार्च, 2022 तक उसका काम पूरा करा लिया जायेगा । एक तरफ नहरों का पककीकरण करवाया जा रहा है और उसका फायदा बताया जा रहा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहरों का पक्कीकरण होगा तो वाटर रिचार्ज नहीं होगा...

अध्यक्ष : समय समाप्त है, पूरक पूछिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा दो पूरक है । एक पूरक है, क्या गलत जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ? दूसरा पूरक यह है कि बिहार में एक तरफ नहरों का पक्कीकरण सिंचाई की बेहतरी के लिए हो रहा है और दूसरी तरफ आप यह कैसे कह सकते हैं कि नहरों के पक्कीकरण करने से सिंचाई सुविधा और वॉटर रिचार्ज नहीं हो पायेगा ?

टर्न-7/धिरेन्द्र/01.12.2021

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जल-जीवन-हरियाली आया और वॉटर लेवल नीचे चला गया, उसी बैकग्राउंड में इतनी बड़ी स्कीम कंसीव की गई, दोनों हाउस मिलकर इसको कंसीव किये, उसके बाद जल संसाधन विभाग ने एक मैटर ऑफ पॉलिसी हमलोग कंक्रिट नहीं बनाये, उसी लाईन पर हमलोग काम कर रहे हैं, पिछली 4 साल पुरानी कोई स्कीम है, पांच साल पुरानी कोई स्कीम है, वह तो काम चल रहा है लेकिन नयी कोई स्कीम हमलोग लार्जली नहीं लेते हैं अनलेस कि बहुत इम्पॉर्टेंट कहीं पर कोई बात आ गई तो, इसी बैकग्राउंड पर मैंने कहा था

कि अभी कोई स्कीम वॉटर रिचार्ज की बात है इसलिए कोई भी पक्कीकरण की स्कीम नहीं ले रहे हैं और जहां तक इनका पहला प्रश्न था शत-प्रतिशत तो पानी हमलोग वहां तक पहुंचाये हैं लेकिन कहे हैं तो मैं एक बार जरूर जांच करवा लूंगा।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मात्र एक पूरक है...

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा मात्र एक पूरक है, तीन पूरक पूछने का अधिकार है । कल भी मेरा एक पूरक रह गया, महोदय ।

अध्यक्ष : आपके कई सदस्य के .....

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, लाखों, करोड़ों रुपया नहरों की सफाई में हर साल खर्च होता है, मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से पक्कीकरण कर दीजिये, नीचे छोड़ भी दीजिये तो सरकार का करोड़ों रुपया बचेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी संज्ञान में ले लेंगे । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें ।

अध्यक्ष : अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी । माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, जो क्वेश्चन के संदर्भ में, उसके जवाब के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं तो सुन लें कि यह विधान सभा की वेबसाईट पर है क्वेश्चन रिप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम, सभी सदस्यों को यूजर आई0डी एवं पासवर्ड दिया गया है। आप देख सकते हैं, आप सभा सचिवालय से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं जिनको दिक्कत होगी । हम एक सिस्टम भी डेवलप किये हुए हैं कि यहां सहायता आप ले सकते हैं क्वैश्चन सेक्शन में जा कर लेकिन थोड़ा-सा हमलोगों को इस ओर विशेष कदम बढ़ाना होगा ।

अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-01 दिसम्बर, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है- श्री महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री मनोज मंजिल, श्री राम रतन सिंह, डॉ0 सत्येन्द्र यादव, श्री विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महानंद सिंह, श्री अजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अखतरूल ईमान । दूसरा है श्रीमती विभा देवी, श्री मोहम्मद कामरान, श्री समीर कुमार महासेठ, श्रीमती मंजु अग्रवाल, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री सुदामा प्रसाद । तीसरा है श्री सुधाकर सिंह, श्री विजय कुमार मंडल, श्री भरत बिंद, श्रीमती संगीता कुमारी । चौथा है श्री अजीत शर्मा ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

अतएव, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

बोलिये, जनक जी, क्या है ?

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन बहुत इम्पोर्टेंट है ।

अध्यक्ष : सब का इम्पोर्टेंट है, अब बढ़ाना संभव नहीं है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल ही इस सदन के बाहर आपके क्षेत्रांतर्गत इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी ने एक वरिष्ठ माननीय सदस्य को जिस तरह से अमर्यादित शब्दों से प्रहार किया है और....

अध्यक्ष : यह बात हो चुकी है ।

श्री जनक सिंह : महोदय, इन्होंने आपको पत्र भी दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए....

(व्यवधान)

गंभीरता में लेकर उनपर कार्रवाई हो, इस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रहार किये हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये । बैठ जाइये सभी लोग । जब हमने पहले ही कह दिया कि कार्यमंत्रणा समिति की कल बैठक करेंगे, सभी दलीय नेताओं की जिम्मेवारी होगी कि अपने सदस्यों को संयमित और मर्यादित रखें ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, यह गलत है । जब आसन बोलता है....

(व्यवधान)

नहीं गलत चीज है, बैठिये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, नाम....

अध्यक्ष : नाम की जरूरत नहीं है । जब कार्य मंत्रणा...

श्री जनक सिंह : महोदय, पूरे देश में...

अध्यक्ष : आप आसन के आदेश के बिना...

(व्यवधान)

बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, कलंकित करने वाले...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने तो पहले ही कहा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । श्री सूर्यकांत पासवान । शून्यकाल पढ़ें ।

(व्यवधान)

आप बैठ जायें, कल बैठक होगी कार्य मंत्रणा समिति की ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री सूर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है जिसके राष्ट्रीय गतिविधि प्रबल है और यह पूर्वी और उत्तरी बिहार का प्रवेश द्वार भी है

बेगूसराय की भौगोलिक व्यवसायिक महत्ता को देखते हुए बेगूसराय में हवाई अड्डा बनाने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री राम रतन सिंह ।

(व्यवधान)

श्री राम रतन सिंह जी, माईक पर बोलिये ।

(व्यवधान)

श्री राम रतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा प्रखंड के गौरा चौर की हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है, जिसके कारण कृषि कार्य बाधित है । उक्त चौर से जल निकासी के लिए नयी नहर निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद कामरान ।

(व्यवधान)

कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । बैठ जाइये । श्री मोहम्मद कामरान ।

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला सदर अस्पताल में एक भी जेनरल सर्जन डॉक्टर नहीं रहने के कारण....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप जनक जी, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : महोदय, पूरी दुनिया देख रही है....

अध्यक्ष : बैठ जाइये । जब हमने आसन से निर्देश, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । बैठिये।

(व्यवधान)

यह तरीका उचित नहीं है आपका । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

हम आपकी भावना को समझ कर ही बैठक रखे हैं । बैठिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको कार्रवाई के लिए पत्र दिया है....

अध्यक्ष : अब शून्यकाल चलेगा ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मेरी भावना आहत हुई है, आप न्याय कीजिये अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मोहम्मद कामरान जी ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, आप न्याय करेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है...

(व्यवधान)

अध्यक्षः एक मिनट सुन लीजिये । बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, हमने पहले ही दिन कहा था कि मौसम बदलता है, लोग मौसम के अनुकूल हो जाते हैं । सदन की गंभीरता, सजगता को, सभी माननीय सदस्य बहुत पुराने, बहुत वरिष्ठ हैं और नये हैं, सब को मर्यादा का ध्यान रखना होगा और आसन अगर आपको आदेश दे तभी आप बोलें, आसन की अनुमति के बिना बात रखना यह भी एक अमर्यादा है और इस तरह की व्यवस्था कतई स्वीकार नहीं होगी और कोई सदस्य किसी सदस्य को अपमानित करेगा, कलंकित करेगा तो हमने पहले ही दिन कहा था कि सदस्य का ही अपमान नहीं होगा, वह सदन का अपमान होगा । यह सदन का अपमान है, इसे गंभीरता से सदन लेगा । इस बात को ध्यान में रखें और थोड़ी-सी बात रखें तो शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ और बिना उत्तेजित हुए रखें, ताकि सभी सदस्य, क्योंकि सभी की प्रतिष्ठा, हमने तो कहा कि जब हम परिवार के रूप में बैठते हैं, यह सदन सिर्फ परिवार के रूप में चलता है तो उत्तेजना फैलाने की बात को थोड़ा हम नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ भी रख सकते हैं ।

चलिये, मोहम्मद कामरान ।

(व्यवधान)

अब आप क्यों पुर्जा लेकर खड़े हो गये । आपका हो गया, चलिये....

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन...

अध्यक्ष : आप बैठिये, कार्य स्थगन चार-चार लोगों का है पढ़ाने में तो सब शून्यकाल चला जायेगा।

श्री मोहम्मद कामरान : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला सदर अस्पताल में एक भी जेनरल सर्जन डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीजों का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन बिल्कुल बंद है । अविलम्ब जेनरल सर्जन डॉक्टर पदस्थापित कराने की मांग करता हूँ ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बरौनी पाटलीपुत्र मेमू स्पेशल ट्रेन (03295/96) का विस्तार बेगूसराय स्टेशन तक करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । 14 शब्दों में आपने बात रखी है । श्री ललन कुमार जी ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, पिरपैंती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नन्दलालपुर पंचायत के सड़क विहीन माधोपुर करहर, रविदास टोला सहित क्षेत्र के तमाम सड़क विहीन गाँवों व टोलों में सड़क निर्माण करवाते हुए सरकार से सभी को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री अनिल कुमार जी ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, किसान के गन्ना क्रय हेतु तत्काल नजदीक के सुगौली चीनी मिल पर क्रय सेंटर की व्यवस्था होने से बिचौलियों को राहत मिलेगा ।

अत: रीगा चीनी मिल जबतक चालू नहीं हो जाता तबतक सुगौली में सीतामढ़ी जिला के किसान का गन्ना क्रय सेंटर की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री विद्यासागर केशरी जी । आप माईक के चक्कर में क्यों हैं बोलिये, आवाज तेज है ।

टर्न-8 /संगीता/01.12.2021

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा के अक्टूबर माह में आये प्रलयंकारी बाढ़ के कारण नगर परिषद जोगबनी के सभी वार्डों सहित विधान सभा के चौबीस पंचायतों में धान की तैयार फसलों के नुकसान के साथ आमजन को भारी नुकसान उठाना पड़ा । बाढ़ से हुए क्षति के मुआवजे की मांग सदन से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिले के लाईफ-लाईन दाहा नदी पुल क्षतिग्रस्त होने से लाखों लोगों का आवागमन ठप हो चुका है, इसलिए सरकार वैकल्पिक पीपा पुल का निर्माण कर सीवान का लाईफ-लाईन चालू कराने तथा पुल निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर, केसरिया और संग्रामपुर प्रखंडों में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । फसल बुवाई का समय निकला जा रहा है । खाद की कालाबाजारी हो रही है ।

अत: कल्याणपुर, केसरिया और संग्रामपुर प्रखंडों में खाद उपलब्ध कराने की मांग करती हूं ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के किसानों को धान क्रय केन्द्र द्वारा कृत्रिम बाधा देने के प्रयास को तिरोहित करने का निदेश सरकार से संबंधित विभागों को दें ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा नगर परिषद् अन्तर्गत स्टेडियम में 3 से 4 फीट पानी लगा रहता है, उसे ऊंचा कर फुटवॉल स्टेडियम मानक पर निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद 18 शब्दों में ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी बक्सर में लगातार धार्मिक मेला लगते हैं जिसमें उस दौरान जाम की स्थिति रहती है,

ट्रैफिक सुचारू रहे, इसके लिए मैं ट्रैफिक थाना का निर्माण की मैं सदन से मांग करता हूं ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय कोटवा का जर्जर भवन के स्थान पर नये भवन का नवनिर्माण कार्य कराने की मांग मैं सदन से करता हूं ।

श्रीमती विभा देवी : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के सदर अस्पताल में सोलर हाइलोजन स्ट्रीट लाइट नहीं रहने के कारण लोगों को बेहद तकलीफ होती है । जनहित में अतिशीघ्र लाइट लगाने की व्यवस्था की जाय ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालय में तीन वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक जो सभी मानदंड को पूरा करते हैं, उनकी सेवा अवधि 60 साल करने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75 वर्ष पर चम्पारण सत्याग्रह के क्रम में गांधी जी के प्राण की रक्षा करने वाले बतख मियॉ को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने और बापूधाम मोतिहारी स्टेशन के मुख्य द्वार का नाम पुनः बतख मियॉ द्वार के नाम करने की मांग करता हूं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला अन्तर्गत फासफोटीक खाद की अत्यंत कमी से रबी फसल के बोआई बाधित होने की सम्भावना बढ़ी है । किसान चिन्तित हैं पर्याप्त डी.एम.पी. उपलब्ध कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सभी प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण के सरकार के निर्णय के आलोक में मटिहानी विधान सभा क्षेत्र के मटिहानी, शाम्हो-अकहा-कुरहा, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों में एवं जिले में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विकास योजना से बना मुंगेर का इंडोर स्टेडियम जिसका लोकार्पण 23 मई 2013 में हुआ । महज सात साल में इंडोर स्टेडियम की स्थिति जीर्णशीर्ण हो गई ।

अतः सरकार से इंडोर स्टेडियम की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला में मई से अक्टूबर तक काफी वर्षा होने के कारण फलदार वृक्ष आम, लीची, कटहल इत्यादि छोटा पौधा महोगनी, सागवान, सिम्बल का काफी नुकसान हुआ है, जिस कारण पेड़-पौधा लगाने वाले किसान परेशान हैं । जनहित में वैसे किसान को उचित मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अन्तर्गत मोदनगंज प्रखण्ड में मंडई वियर योजना तथा नदी किनारे मंडई गांव तक सड़क निर्माण के लिए किसानों से ली गई जमीन का मुआवजा सभी को प्राप्त नहीं हुआ है मुआवजा भुगतान की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, काराकाट विधानसभान्तर्गत जर्जर PMGSY सड़कों का मरम्मती कराया जाए ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 8 शब्दों में आपने दिया ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, श्री तैयब, पिता–नसीरूद्दीन, उम्र–71 वर्ष ग्राम–तालबाड़ी, पूर्णिया का दिनांक 21.11.2021 को कनकई नदी में डूबने से मृत्यु हो गई और शव अब तक लापता है ।

सरकार से मांग करता हूं कि शव तलाशी में लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध कार्रवाई हो एवं परिवार को 05 लाख का मुआवजा दिया जाय ।

अध्यक्ष : दूसरे के मौके का भी ध्यान रखिए आप ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत बी0 एड0 की पढ़ाई नहीं होने के कारण किशनगंज जिला आज भी शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जबकि डायट किशनगंज में बी0 एड0 कोर्स की स्वीकृति हेतु पूर्व में भी मांग की जा चुकी है ।

अतः किशनगंज जिला अन्तर्गत, डायट किशनगंज में बी0 एड0 कोर्स की स्वीकृति की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी नगर–निगम क्षेत्रान्तर्गत नगर थाना क्षेत्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक्सिस बैंक गेट पर लूट की घटना 24.11.2021 को घटी । इस दौरान सुरक्षाकर्मी शिव कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई । अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए मृतक को 10 लाख मुआवजा दिया जाय।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ी एवं अगड़ी जाति के महिला अभ्यर्थी को संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग में पीटी पास करने पर 50000 एवं एक लाख रुपये दिये जा रहे हैं, जबकि पिछड़ी जाति को किसी विभाग द्वारा आवेदन नहीं लिया जाता है, जिससे लाभ नहीं मिल रहा है ।

मैं सरकार से पिछड़ी जाति को भी उक्त योजना का लाभ देने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पतैलिया घाट एवं बेगूसराय के मटिहानी घाट के बीच बुढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण तथा साखमोहन पंचायत के वार्ड नं0–2 एवं गंगौली पंचायत के वार्ड नं0–5 के बीच बैती नदी पर पुल का निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत हसपुरा प्रखंड के सिंहाड़ी से गोह प्रखंड के देवहरा तक नहर का पक्कीकरण कराने का सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में साढ़े चार लाख शिक्षकों के पद खाली होने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है इसलिए अंतिम रूप से चयनित 38,000 प्रारंभिक और 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर ज्वाइनिंग कराया जाय ।

श्री हरि भूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के विस्फी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विस्फी एवं रहिका प्रखण्ड में ग्रामीण बसावट सड़कों की स्थिति बहुत खराब एवं जर्जर है । सरकार उक्त प्रखण्डों के खराब एवं जर्जर सड़कों का निर्माण करावें।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, सभी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में C.C.I.M (N.C.I.S.M) के मानक के अनुसार MD योग्यताधारी चिकित्सकों को उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित नहीं किया जाता है ।

मैं मांग करता हूं कि C.C.I.M (N.C.I.S.M) के मानक के अनुकूल MD योग्यताधारी को ही उक्त कॉलेज अस्पताल में उपाधीक्षक का पदस्थापन सुनिश्चित हो ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, तिमूल, मुजफ्फरपुर डेयरी अन्तर्गत दुग्ध शीतक केन्द्र सीतामढ़ी के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन में पुराने भवन का ईंट एवं छड़ का उपयोग किया गया । जिसकी कीमत करोड़ों में है । राजस्व की क्षति करने वाले उक्त संवदेक एवं अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

टर्न–9/सुरज/01.12.2021

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना के नौबतपुर में 23.11.2021 को हुए ब्यूटी पार्लर संचालिका 'रिमझिम' हत्याकाण्ड की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 16 शब्दों में ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, बिहार में विज्ञापन संख्या-02/17 के 1241 सहायक अभियंता (असैनिक) का अंतिम परीक्षाफल 14.07.2021 को घोषित हुआ । अभी तक चयनित उम्मीदवारों के योगदान एवं विभागों की बटवारा प्रक्रिया लटकी है ।

अतः इन चयनित 1241 सहायक अभियंता (असैनिक) के योगदान एवं विभागों के बटवारों की मांग करता हूं ।

मो0 इसराईल मंसुरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मड़वन प्रखंड के रक्सा चौड़ के जल निकासी एवं विभिन्न गांव में आवागमन हेतु R.W.D सड़क के शिवनाथ चौक, पोखर बाजार, दक्षणी टोला, भगवती चौक, पोखर चौक, पत्थर पासवान के घर पास पुलिया निर्माण अविलंब करवाया जाय ।

श्री निरंजन राय : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बांद्रा प्रखंड के खनुआ घाट एवं लोहरखा घाट पर सालों भर आम नागरिकों का हो रहे जानमाल की क्षति से बचाव हेतु उक्त घाटों पर जनहित में अविलंब आर.सी.सी. पुल का निर्माण कराया जाय ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत दुल्हिनबाजार प्रखंड के धाना गांव स्थित नीमबार कृष्णा माधवानंद संस्कृत उच्च विद्यालय व महाविद्यालय दोनों ही हमेशा बंद रहता है । प्राचार्य और कमिटी द्वारा फर्जी बहाली व धन निकासी की जाती है ।

तत्काल उच्चस्तरीय जांच, प्राचार्य व कमिटी की बर्खास्तगी तथा संस्थान का विधिवत संचालन किया जाय ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला में किसानों के धान की खरीदगी पैक्सों के माध्यम से नहीं हो रही है क्योंकि उसना चावल मील पर्याप्त मात्रा में नहीं है ।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि उसना चावल मीलों की उपलब्धता होने तक अरबा चावल मीलों को धान खरीद करने की अनुमति दी जाय ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधान सभा अंतर्गत रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में L&T कंपनी द्वारा सोलर प्लांट से पहाड़ी गांवों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है, विगत 3 महीनों से कई गांवों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित है ।

अतः बिजली की समुचित आपूर्ति एवं कंपनी पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : अध्यक्ष महोदय, जिला कैमूर सहित बिहार में नियुक्त 114691 पंचायत वार्ड सचिवों को चार वर्षों से कोई भत्ता या राशि नहीं दिया गया है । भूखे वार्ड सचिवों को स्थाई सरकारी कर्मचारी घोषित कर मानदेय एवं भत्ता का भुगतान जल्द से जल्द करावें ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज में गोरूमारा पुल पिछले 15 वर्षों से टूटा हुआ है जिस कारण हजारों की

आबादी को प्रखण्ड, जिला तथा किसानों को मुख्य बाजार पहुंचने के लिए 25 से 40 किलोमीटर घुमना पड़ता है ।

मैं संबंधित मंत्रालय से जनहित में उक्त पुल का अविलंब निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के मड़वा पश्चिम पंचायत के वार्ड नं0-3 निवासी मो0 मंजूर का 12 नवम्बर, 2021 को बिहपुर बस स्टैंड एन0एच0-31 हीरा चिमनी भट्ठा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई ।

अत: पीड़ित परिवार को पांच लाख मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी इसके बाद समय बचेगा तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी ।

माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा, अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नीतीश मिश्रा : राज्य में 17वीं विधान सभा चुनाव, 2020 के बाद चुने गये जनप्रतिनिधियों के विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) के तहत किये गये नव चयनित सड़क, नवनिर्मित सड़क अथवा अधूरे पड़े योजनाओं के संबंध में सड़कों की सूची उपलब्ध कराना ग्रामीण कार्य प्रमंडल का प्रमुख कर्त्तव्य है ताकि जनप्रतिनिधियों को यह जानकारी प्राप्त हो कि ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है । उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण देना भी ग्रामीण कार्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है । अक्सर देखा गया है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ग्रामीण कार्य विभाग अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है ।

अत: ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने उक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पथों का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित दिशा-निर्देश के आलोक में संबंधित जिला परिषद् से पारित डिस्ट्रिक्ट रूलर रोड प्लान के पात्र पथों के लिए माननीय सांसद की अनुशंसा से अनुशंसित पथों का किया जाता है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

अन्तर्गत पथों का शिलान्यास एवं उद्घाटन ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के परिपत्र सं0:-P-170252/2/2014RC दिनांक-20.04.2017 के निर्धारित निर्देश के आलोक में किया जाता है । सभी चुने हुए क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है । संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद, लोकसभा के द्वारा योजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाता है। राज्य की 17वीं विधान सभा चुनाव, 2020 के पश्चात् चुने गए जनप्रतिनिधियों के विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत किये गये नवीन पथों का चयन नहीं किया गया है । राज्य कोर नेटवर्क आधारित एकल सम्पर्कता के सिद्धांत पर अर्हता रखने वाले सभी पथों का चयन चुनाव के पूर्व विभाग के द्वारा किये जाने के उपरांत विधान सभा चुनाव, 2020 के पूर्व लगभग सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी । अधूरे पड़े योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदन के अनुपालन में सड़क की सूची माननीय विधान मंडल सदस्य/जनप्रतिनिधियों को विभाग एवं कार्यप्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । माननीय विधान मंडल सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सड़क शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सूचना देने की जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की है । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के द्वारा विधान सभा चुनाव, 2020 के पूर्व वर्चुअल माध्यम से राज्य की सभी स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन राज्यस्तरीय कार्यक्रम में समेकित रूप से की गई थी । भविष्य में सभी कार्य प्रमण्डल को शिलान्यास एवं उद्घाटन के कार्यक्रम की सूचना माननीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण देने संबंधी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । धन्यवाद ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । मेरे ध्यानाकर्षण का उद्देश्य यह नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि मैं चौथी बार का विधायक हूं और सरकार में 8 वर्षों तक मंत्री रहा हूं । सड़कों का चयन कैसे होता है सभी विधायकों को उस प्रक्रिया की जानकारी है । मेरा इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना था कि एक साल से अधिक हो गये हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कौन-सा कार्य प्रारंभ हुआ । कोई विधायक शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए उत्सुक नहीं है । अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि मेरी व्याकुलता है कि मैं शिलान्यास या उद्घाटन के लिए उत्सुक हूं वह मेरा विषय नहीं है । यह मेरा अधिकार बनता है, हम साढ़े तीन लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । जानकारी इनके विभाग के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय, दो उदाहरण मैं रखना चाहता हूं इनके विभाग के सचिव से भी मिला फरवरी माह में और मैंने उनको बताया कि जो कार्य किये जा रहे हैं मेरे ध्यानाकर्षण में भी सिर्फ मैंने सूची मांगी है । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास या उद्घाटन हुआ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक वह शिलापट्ट लगी ही नहीं है तो मैं ये समझ कैसे सकता हूं कि इसका शिलान्यास या उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है । इनके कार्य प्रमंडल से दो माह पूर्व मैंने सिर्फ सूची मांगी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के माध्यम से किन-किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-10/राहुल/01.12.2021

श्री नीतीश मिश्रा : (क्रमशः) उसकी सूची आप उपलब्ध करा दें, अभी तक दो माह से अधिक बीत जाने के बाद भी मुझको सूची नहीं प्राप्त हुई और एक है सड़क के शिलापट्ट का मेरा जो साईन बोर्ड है निर्वाचन क्षेत्र झंझारपुर का जिसमें दिनांक-24.06.2021 को कार्य प्रारम्भ हुआ और 23.12.2021 को कार्य सम्पन्न होने की डेट है । अध्यक्ष महोदय ये मेरे पास एक छोटा-सा उदाहरण है इसकी कोई जानकारी, कोई सूचना मेरे पास नहीं थी तो अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि इसका अनुपालन कराया जायेगा मेरी भावना वह नहीं है, यह हमारा अधिकार बनता है यह विभाग कोई कृपा नहीं करेगा या तो अगर विधायकों की भूमिका इसमें है तो वह स्पष्ट करें, विधायकों की भूमिका इसमें नहीं है तो वह भी बता दें। शिलान्यास करना या उद्घाटन करना, यह हम सबके लिए भी गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र में रोड या सड़क का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं लेकिन हमको सूचना आप क्यों नहीं दे रहे हैं ? मेरे यहां सड़क एक साल से अधिक अवधि में मैं अभी तक नहीं जान पाया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किन-किन सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्या विधायक को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है और यह सूचना देने में इनके कार्य प्रमंडल को क्या आपत्ति हो सकती है ? ये उद्घाटन, शिलान्यास के लिए न बुलायें लेकिन किन सड़कों पर काम किया जा रहा है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इतना तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जानने का मेरा अधिकार बनता है । अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस नियम का कड़ाई से हम लोग अनुपालन करेंगे और जितनी भी माननीय विधायकों के क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं उसकी सूचना हम अविलंब सभी विधायकों को भेज देंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा : अगर मानिये जनप्रतिनिधि, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं अगर मेरे यहां हो, माननीय अन्य विधायकों की स्थिति क्या है मैं ये नहीं कह सकता । अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि मैं जानकारी में अपडेट रहता हूं, सूचना तकनीक से जुड़ा हुआ हूं, इंफोर्मेशन हमको उपलब्ध है, बात मेरे अधिकार की है । अगर इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से दो माह पूर्व हम लिखित सूचना मांग रहे हैं और एक कार्य प्रमंडल वह सूचना भी हमको नहीं दे सकता है तो जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है या विधायक की अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या भूमिका है ये स्पष्ट होनी चाहिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसको हम तुरंत दिखवा लेते हैं और सूचना सभी माननीय विधायकों को हम लोग उपलब्ध करवा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य की मर्यादा से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार के सभी विभागों को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए । इतना तो प्रोटोकोल आवश्यक है कि स्थानीय विधायक को ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन की सूचना देना सुनिश्चित हो, विभाग से यह जरूरी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ने बताया है कि सरकार की तरफ से यह हमेशा कोशिश होती है कि जिस भी क्षेत्र की विकास योजनाओं का शिलान्यास अथवा उद्घाटन सरकार के द्वारा समेकित रूप से किया जाता है उसकी सूचना सभी संबंधित माननीय सदस्यों को जरूर दे दी जाय । यह सरकार की तरफ से स्पष्ट निदेश है लेकिन माननीय मंत्री ने जैसा बताया है कि सरकार निश्चित उसको दिखवा लेगी अगर कहीं किसी स्तर पर इसमें कोई कमी, कोताही हो रही है तो सरकार इसे सुनिश्चित करेगी और स्वभाविक रूप से अगर किसी क्षेत्र में काम हो रहा है उस क्षेत्र के कोई माननीय विधायक हैं उनको तो सूचना मिल ही जानी चाहिए और वह सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनको सूचना दे दी जाय ।

अध्यक्ष : अब तो सरकार ने इतने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, सरकार स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री, विजय चौधरी जी स्पष्ट किये लेकिन वह व्यवहार में प्रयोग में नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्रीजी का कार्यक्रम होता है, माननीय सदस्यों को बैठक में बुलाकर उनकी राय जानी जाती है इस बात की मैं सराहना करता हूं लेकिन इनके अधिकारी/पदाधिकारी माननीय सदस्यों से राय नहीं पूछते हैं, अनुशंसा नहीं ली गयी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया कि केवल और केवल सांसद ही उसका शिलान्यास करेंगे । माननीय विधायकों के

लिए कोई परिपत्र सरकार का जारी नहीं हुआ है । मैं समझता हूं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के प्रधान हैं, एग्जीक्यूटिव प्रधान हैं शिलान्यास करें । सभी माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया या सर्वेक्षण किया लेकिन माननीय सदस्यों के क्षेत्र में जिन सड़कों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं हो सका उन सड़कों के शिलान्यास का अधिकार तो माननीय सदस्यों को जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको देने में सरकार को क्या आपत्ति है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं । भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया तो बिहार सरकार को ऐसा परिपत्र जारी करने में क्या आपत्ति है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, हम लोग देखते हैं व्यवहारिक रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री के जरिये ऊपर से शिलान्यास का कार्यक्रम समेकित रूप से कर दिया जाता है, उनकी तो जानकारी नहीं ही होती है, साथ-साथ उन योजनाओं का कार्यान्वयन धरातल पर एक साल के बाद शुरू होता है । कब शुरू होता है, कब नहीं शुरू होता है इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है और जनता के आक्रोश का शिकार विधायकों को होना पड़ता है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, हमारे यहां एक विकास भवन बना प्रखंड का, उसका उद्घाटन हो गया लेकिन हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं मिली, हम लोगों की उपेक्षा होती है, अवहेलना होती है और हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है कि वहां इतना बड़ा भवन आप लोगों के पीरियड में बन गया और आपको जानकारी ही नहीं है...

अध्यक्ष : विधायकों की मर्यादा से जुड़ा हुआ विषय है सरकार ने संज्ञान में लिया है ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है कि उद्घाटन जो उसके होंगे वह उस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद जी करेंगे परन्तु जो जनप्रतिनिधि उस इलाके से जीतते हैं विधान मंडल दल के सदस्य, क्या उस उद्घाटन में, उस शिलान्यास में उनकी संलिप्तता होगी कि नहीं होगी ? दूसरी चीज है कि माननीय विधायकों के क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न चाहे केन्द्र प्रायोजित योजना हो या राज्य संपोषित योजना हो वह अगर इलाके में उनके होती हैं उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री करते हैं अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं तो क्या माननीय विधायक जो उस क्षेत्र के हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन, चाहे पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो या जिला योजना का हो या वित्त विभाग का हो वह कर सकते हैं सरकार उसके ऊपर ध्यान दे और मैं समझूंगा कि एक स्वस्थ परंपरा बनेगी अगर इस तरह के अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार माननीय विधायकों को देती है तो ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब माननीय सदस्य...

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, मुझे सूची कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, सूची कब तक उपलब्ध करायेंगे ?

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, हम प्रयास करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर सभी को सूची उपलब्ध करवा दें ।

अध्यक्ष : आपके द्वारा जो पत्र जाता है हर जिले में, सभी विधायकों को उस पत्र की कॉपी जानी चाहिए ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो गंभीरता से प्रश्न उठाया और मैंने अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और यह सदन के तमाम 243 सदस्यों से संबंधित मामला है इसलिए आपके संरक्षण में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ आश्वासन देते तो बड़ी कृपा होती ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कम से कम...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले लिये हैं...

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, नेता सदन बोलेंगे ।

टर्न-11/मुकुल/01.12.2021

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री: अभी हम 3 लोगों की बात सुने हैं । तीनों लोग भी अपने जमाने में मंत्री थे, जो तीनों बोले हैं ये तीनों मंत्री रहे हैं । हम इन तीनों से चाहेंगे कि जब वे मंत्री थे तो उस समय क्या व्यवस्था थी ? जरा उसकी जानकारी भी हमको दे देंगे ताकि उनके मंत्री रहते क्या व्यवस्था थी और आज वह व्यवस्था लागू क्यों नहीं हुई यह भी हम जरा जान लेंगे । वैसे आपलोगों को पता नहीं कि यह दिशा-निर्देश हमने बहुत पहले ही हर डिपार्टमेंट को दे दिया है कि आप सारे एम0एल0ए0 को, सारे एम0एल0सी0 को, लोकसभा और राज्य सभा के एम0पी0 को, इन सब लोगों को इस तरह के किसी कार्यक्रम में आप उनको भी सूचना दीजिए और उनको भी आमंत्रित कीजिए और जब वे इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहें तो उनका नाम शिलापट्ट पर लिख दीजिए, यह सब बहुत पहले ही मेरा किया हुआ । लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं भाई तो सब लोग तो जो-जो बोल रहे थे, अभी तीन लोग बोले हैं तो उनमें एक तो बहुत पहले ही मंत्री थे, बैठिए न । अरे, जब हम एम0एल0ए0 थे

तो मेरे बगल में ही न रहते थे, आप राज्य मंत्री हुए यह उसी समय की बात है, यह 1986 की बात है तब ये थे और ये बाद में हुए हैं । जब ये लोकसभा के नहीं हो रहे थे तो हमने कहा कि इनको भाई मिनिस्टर बनाइये कम से कम तो यह कब की बात है नाइंटिज की बात है । सुनिये न, बैठिये न हम ऐसे ही आपको याद करा दे रहे हैं तो आपलोग जब थे तब उस समय कोई व्यवस्था थी और अभी उसकी अवहेलना हो रही है तो जरूर बताइयेगा, क्योंकि हमने तो बता दिया कि हमने यह डायरेक्शन दिया हुआ है और आप कहियेगा तो मेरे ऑफिस से पूछ लेगा, कोई भी डिपार्टमेंट कहेगा कि आप शिलान्यास या उद्घाटन कीजिए तो शिलान्यास के बारे में हम आपको बता देते हैं कि शिलान्यास के बारे में हम तभी तैयार होते हैं जब सचमुच उसके बारे में टेंडर वगैरह करके फाइनल स्टेज में है । यह पहले कभी हुआ होगा लेकिन अगर ऐसा है कि हमसे किसी का शिलान्यास करवाया और उसका टेंडर वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ और वह काम शुरू नहीं हुआ तो कृपा करके यह जरूर सूचना दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत साफ-साफ गाइडलाइन दे दिया है कि हमसे वही शिलान्यास करवाइये जिसपर कि कार्यारम्भ होने वाला है, ऐसा नहीं कि बिला-वजह का शिलान्यास करवाइये । यह सब हमारा गाइडलाइन है लेकिन अगर आपलोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से उस जगह की सूचना दीजिएगा, अगर हमसे शिलान्यास करवाया है और उसका यह काम पहले से नहीं किया है तो निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट से यह पूछताछ होगी और कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए यह बात तो हमारा है लेकिन पहले का कुछ और नियम है और आजकल उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसके बारे में जरूर बता दीजिएगा ताकि उसके बारे में पूरे तौर पर हो ।

अब जो पूछ रहे थे सबसे पहले और सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, ये खुद मंत्री थे तो कितना दिन ये मंत्री रहे हैं तो सब तरह से काम इनका हुआ है, अगर आपके टाइम में कोई काम मंत्री आपके रूप में कर रहे थे और आजकल के मंत्री से चूक हो रही है तो जरूर बताइयेगा ताकि उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले लेंगे, समझ गये न ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा अपनी सूचना को पढ़े ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लें ।

अध्यक्ष: श्री अमरजीत कुशवाहा जी ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ववर्ती सरकारों का उदाहरण देकर कहते हैं कि बहुत सारे मामलों में पूर्ववर्ती सरकार के नियम को....

अध्यक्ष: आप ही के जिला का है माननीय सदस्य ।

सर्वश्री अमरजीत कुशवाहा, सुदामा प्रसाद एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्मस्थली सिवान जिला के जीरादेई स्थित पैतृक आवास जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, पूरी तौर पर उपेक्षा का शिकार है । आजतक न रोशनी की व्यवस्था की गई और न उसका सौन्दर्यीकरण किया गया और न ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जो आजादी के नायकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया का द्योतक है ।

अत: देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक आवास तक जानेवाली जीरादेई मोड़ से सड़क का चौड़ीकरण, सड़क के किनारे स्ट्रीट लाईट, पैतृक आवास की मरम्मती, हाई मास्क लाईट एवं आवास के बाहर पार्क का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, समय चाहिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी: अब श्रवण बाबू, समय कितना दिन रह गया है ?

अध्यक्ष: अब शेष बचे शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

श्री ऋषि कुमार ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र प्रसाद ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, इस पर कोई जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी समय लिये हैं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, कब होगा ?

अध्यक्ष: चलते सत्र में दे देंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: इसका चलते सत्र में जवाब मिल जायेगा ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुलियों को ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिया गया है जिसके कारण बरसात के समय गांवों में जल-जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

अत: मैं सदन के माध्यम से पुलियों को खुलवाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर एवं सलखुआ प्रखंड में प्रत्येक वर्ष अनेक स्थानों पर स्लुइस गेट के निकट अज्ञात लोगों के द्वारा साजिशन पानी का मार्ग अवरूद्ध कर दिये जाने एवं बाढ़ में अत्यधिक मात्र में आये पानी के ठहराव के कारण जलजमाव की स्थिति बने रहने से किसानों को व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचती है।

अतः सरकार से जनहित में जलजमाव का स्थायी समाधान कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री विनय कुमारः अध्यक्ष महोदय, गया जिला के गुरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत भरौंधा-चण्डी स्थान मार्ग के उत्तरी कोयल परियोजना नहर पर निर्मित पुल रख-रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गया है । ग्रामीण जनता जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। बड़ी दुर्घटना घट सकती है ।

अतः सरकार शीघ्र पुल का निर्माण कराए ।

श्रीमती मंजु अग्रवालः अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी में स्थित बस-स्टैण्ड का चयनित एवं रख-रखाव की व्यवस्था कराने की मांग करती हूं ।

श्री मुरारी मोहन झाः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र के सिंघबारा प्रखंड अंतर्गत सनहपुर पावर हाउस से जुड़े लगभग 35 पंचायतों में पुराने बिजली का खम्भा और पुराने नंगे तार के कारण जर्जर हो चुका है । जिस कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है । जिसे शीघ्र बदलवाने की कृपा की जाय ।

श्री भूदेव चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत धोरैया प्रखण्ड में ग्राम झीकटा से ग्राम जयपुर तक कच्ची एवं जर्जर सड़क को जनहित में अविलंब निर्माण कराया जाय ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, के.एस.टी. इंटर कॉलेज, बिहारशरीफ में लंबे समय से चल रहे वित्तीय घोटाले की जांच का दायित्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक ने नालंदा शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा था, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करता हूं ।

श्री रामविशुन सिंहः अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के हेतमपुर पंचायत में अंगरूआ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति सरकार द्वारा मिलने के बावजूद भी पठन-पाठन प्रारम्भ नहीं हुई है । पठन-पाठन शुरू करने हेतु सदन से मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमारः अध्यक्ष महोदय, किसानों के उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु बाजार समिति (ए0पी0एम0सी0) की राज्यभर में वर्ष 2006 से भंग बाजार समिति को किसान हित में फिर से स्थापित करने क ी मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 5.1 लाख से ज्यादा दिव्यांग जन हैं । परन्तु उनके सर्वांगीण विकास हेतु अभी राज्य में दिव्यांग जन आयोग गठित नहीं है तथा उन्हें अन्य राज्यों से बहुत कम विकलांग भत्ता का भुगतान होता है। अतः विकलांग आयोग की गठन की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहूः अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के पटोरी को सरकार द्वारा 3 मार्च, 2021 को नगर परिषद् का दर्जा दिया गया । 9 माह बाद भी यहां प्रभारी कार्यपालक अधिकारी ही कार्य करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नगर परिषद् पटोरी में स्थायी कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाय ।

टर्न-12/यानपति/01.12.2021

श्री पवन कुमार यादवः माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के ओगरी पंचायत के वार्ड नंबर-4 में स्थित मारकंडे टोला में पक्की सड़क, नाला, शौचालय, पानी आदि मूलभूत सुविधा नहीं है, टोला का मुख्य सड़क से संपर्क भी नहीं है, मारकंडे टोला में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री राजवंशी महतोः अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला सहित राज्य के सभी जिलों में कार्यरत पंचायत सचिवों का विगत वर्ष से मानदेय का भुगतान नहीं होने से भूखों मरने पर विवश हैं तथा वे सब आंदोलन कर रहे हैं । अतएव उनके बकाए मानदेय का भुगतान जनहित में अविलंब कराया जाय ।

श्री मिश्री लाल यादवः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के प्रखण्ड अलीनगर, ग्राम-गोसवा थाना अलीनगर में गीता देवी पति जीवछ पंडित (2) रंजित कुमार पिता जीवछ पंडित की मृत्यु दिनांक-25.10.2021 को बिजली का तार टूटकर गिरने के कारण हुई है ।

अतः मृतक गीता देवी एवं रंजित कुमार के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

अध्यक्षः श्रीमती बीना सिंह । (व्यवधान) अपनी बात रख दिए, दूसरे की बात भी सुनने की...

श्रीमती बीना सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महनार प्रखंड के चमरहरा (महनार रेलवे स्टेशन) से सलहा (हाजीपुर-जन्दाहा मार्ग) तक की मुख्य सड़क की हालत काफी जर्जर है, अतः सरकार उक्त सड़क को चौड़ीकरण कर नये सिरे से और मजबूती से निर्माण कराये ।

श्री सुदामा प्रसादः अध्यक्ष महोदय, भोजपुर के पीरो के वार्ड-12 के आजम खान वल्द हमजा खान सहित दो युवाओं की 13.12.2021 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई । हमजा

खान को मुआवजे में मिला चेक बाउन्स हो गया । शीघ्रातिशीघ्र हमजा खान को हमजा खान को 4,00,000 रु0 मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र बरसात के दिनों पूरा जलमग्न रहता है अभीतक कई मोहल्ले में जलजमाव है । प्रत्येक वर्ष 4-5 महीना नारकीय स्थिति रहती है । समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के जलजमाव समस्या के स्थायी निदान हेतु मास्टर प्लान बनाकर शीघ्र कार्य करने की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदासः अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद फुलवारीशरीफ क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ हेतु पार्क के अविलम्ब निर्माण की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्माः अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज प्रखण्ड में 2019 से चयनित नई सेविकाओं का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है । मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि सेविकाओं के मानदेय का भुगतान जल्द किया जाए ।

श्री ऋषि कुमारः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में एक ही विज्ञापन से आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0 की बहाली की गयी थी सरकार द्वारा 2018 में आयुष चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाया गया लेकिन शेष को इससे वंचित रखा गया है ।

मैं सरकार से फार्मासिस्ट और ए0एन0एम0 का भी मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्षः चलिये । शून्यकाल समाप्त हुआ ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, एक तात्कालिक सूचना है ।

मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के जानकी नगर में मनीष कुमार की निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा 18.11.2021 को कर दी गयी जिसका थाना कांड संख्या-274/21 है । घटना की उच्चस्तरीय जांच एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा की मांग करता हूं ।

अध्यक्षः तात्कालिक है यह । माननीय सदस्यगण.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप तो शून्यकाल पढ़ चुके हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय, एक सूचना देनी है । दलसिंहसराय में छत्रधारी उच्च विद्यालय है महोदय, वहां पर जो मकान बना हुआ है वह 100 वर्ष पुराना है और वह मकान इतनी जर्जर स्थिति में है, करीब-करीब 20 कमरे हैं और उसमें करीब-करीब 800-900 लड़के पढ़ रहे हैं महोदय । सरकार उसकी जांच.....

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहताः महोदय, जरा सुनिये सर.....

अध्यक्षः अभी समय नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय उपमुख्यमंत्रीजी अभी सदन में नहीं हैं इसलिए सी0ए0जी0 का प्रतिवेदन अब कल दिनांक 02 दिसंबर, 2021 को सदन पटल पर रखा जाएगा ।

(व्यवधान)

अब, शून्यकाल पढ़ियेगा, उस समय क्यों नहीं पढ़े ?

अब सदन की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-13/अंजली/01.12.2021

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जाएंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021''

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्रीः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

अध्यक्षः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 122 (1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री अख्तरूल ईमान एवं श्री समीर कुमार महासेठ का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

श्री अजीत शर्माः हां, मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि यह विधेयक आनन-फानन में लाया गया है । इस विधेयक में एक तरफ कहा गया है कि दाखिल खारिज हेतु याचिका के साथ आवेदनकर्ता को दाखिल खारिज पूर्व खाका मतलब रेखाचित्र राजस्व मानचित्र संलग्न करना होगा और वहीं दूसरी तरफ इस विधेयक के माध्यम से रेखाचित्र तैयार करने हेतु एजेंसी अभ्यर्थी के नियुक्ति का भी प्रस्ताव है । जब रेखाचित्र तैयार ही नहीं हुआ है तो फिर आवेदनकर्ता को यह बाध्य क्यों किया जा रहा है । पहले रेखाचित्र तैयार कर सरकार प्रकाशित करे तब जाकर आवेदनकर्ता से मांगे । इसके साथ-साथ विधेयक में अन्य त्रुटियां भी हैं जिससे स्पष्ट लक्षित होता है कि विधेयक हड़बड़ी में लाया गया है जैसे विधेयक की दूसरी पंक्ति में ही ''अधिनियमित'' की जगह ''अधिनियम'' तथा खंड-3 के उपखंड-8 की सातवीं पंक्ति में ''कि'' की जगह ''की'' लिखा हुआ है इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार पहले रेखाचित्र तैयार करने की एजेंसी निर्धारित कर रेखाचित्र तैयार कराएं तब इसे रैयत के लिए बाध्यकारी करें, इसलिए इसके सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव मैंने दिया है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजीत शर्मा, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादवः जी, मूव करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमानः महोदय, हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

अध्यक्षः फर्स्ट जो रहते हैं वही बोलते हैं, अब आगे हो चुका है ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक-28 फरवरी, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, यह अधिनियम जो है 2011 में अपने मूल रूप में आया, जिसमें कतिपय संशोधन की सरकार को आवश्यकता है लेकिन मेरा मानना है कि इस अधिनियम में व्यापक सुधार एवं और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु अत्यधिक सुधार की

आवश्यकता है । महोदय, इस अधिनियम में व्यापक सुधार करने पर समाज में जो जमीन मामले के विवाद, उसमें कमी आएगी एवं सामाजिक सद्भाव बना रहेगा, फौजदारी के अधिकांश मामले भूमि के विवाद से ही जुड़ा होता है । भूमि विवाद केवल दाखिल खारिज के जटिल प्रक्रिया के कारण ही उत्पन्न होता है । यह आम आवाम से सीधा जुड़ा हुआ मामला है । महोदय, इसलिए हमलोग इसको जनमत जानने के लिए आग्रह किए हैं कि जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय । महादेय, इसमें बहुत व्यापक और समय सीमा भी इसमें निर्धारित हो और उत्तरदायित्व की भी जिम्मेदारी की जाय ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक-28 फरवरी, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्षः इसमें माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंहः हां, मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

महोदय, इसके संबंध में कहना है कि जो अभी हमारे सी0एल0पी0 लीडर ने कहा कि रेखाचित्र आप तैयार करें इसके बाद आप आवेदन लें । अभी जो डिजिटल रजिस्टर-टू करना है समूचे बिहार में, उसमें परिहार की जो स्थिति है, उसमें परिहार करने में रैयतों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है । तीसरी बात इस विधेयक में मैंने देखा कि खतियान, बंदोबस्ती, केबाला इस रास्ते जो दाखिल खारिज की बात कही गई है महोदय, बिहार में जमींदारी एबोलिशन के बाद बिहार सरकार एज ए जमींदार हुई, तो उसके लिए जो भी दस्तावेज हो सकते हैं खतियान में अगर रैयत का नाम नहीं है तो भी वह जमीन उस रैयत की होगी, इसके लिए इसके ऊपर एक खेवट होता है जो यह तय करता है कि खतियान में अगर उस रैयत का नाम नहीं है, खेवट यह डिक्लियर करता है कि इसमें 20 बिगहे में 5 बिगहा जमीन फलाने रैयत की है तो वह सर्वोपरि होता है । इसमें खेवट को भी इंट्रोड्यूस करना

चाहिए । महोदय, जहां तक सवाल है बंदोबस्ती का तो जमींदारी एबोलिशन के पहले भी बंदोबस्ती हुई है, उसके बाद भी बंदोबस्ती हुई है तो जमींदारी एबोलिशन के पहले जो बंदोबस्ती हुई है उसमें जो रिटर्न दाखिल किया है जमींदारों ने वह किसके नाम रिटर्न दाखिल किया है और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब खतियान में किसी रैयत का नाम होता है और उसकी कैफियत में यह बात लिखी जाती है यह फौती-फिरारी हो गया या यह तकलिकार यह पांच साल के लिए उसकी कैफियत होती है तो फिर खतियान में तो उसका नाम है तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है यह तो रिटर्न क्लियर करेगा । तो इन सारी बातों में जो जटिलता है इसको देखते हुए इस पर वृहत चर्चा होनी चाहिए और इन सारी बातों का निदान होने के बावजूद ही ये भूमि विवाद जो है इतना सेंसेटिव मामला है जिसको कि इन सारे प्रकरण से गुजरने के बाद ही शांति व्यवस्था कायम हो सकती है और इसलिए इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज देना चाहिए और उनसे एक तिथि निर्धारित करके, एक माह की तिथि निर्धारित करके उनका प्रस्ताव ले लेना चाहिए ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: इसमें माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री रणविजय साहू अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रणविजय साहू: जी मूव करता हूं ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

महोदय, यह विधेयक आम जनता के लिए काफी उपयोगी है लेकिन समुचित संशोधन नहीं होने के कारण यह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है । महोदय, समाज में जितना भी भूमि विवाद होता है उसका मूल कारण दाखिल खारिज का न होना होता है ।

अतः इसे व्यापक और सुलभ बनाने हेतु प्रवर समिति को मूल्यांकन एवं समुचित सुधार हेतु सौंपा जाय ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-14/सत्येन्द्र/01-12-2021

अध्यक्षः खंड-3 में 4 संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंहःजी । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(6) की चौथी एवं पांचवी पंक्ति के शब्द समूह '' प्राधिकृत/सूचीबद्ध व्यक्ति/Empanelled एजेंसी'' के स्थान पर शब्द समूह ''नियुक्त अभियंता'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(6) की चौथी एवं पांचवी पंक्ति के शब्द समूह '' प्राधिकृत/सूचीबद्ध व्यक्ति/ Empanelled एजेंसी'' के स्थान पर शब्द समूह ''नियुक्त अभियंता'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(7) की दूसरी पंक्ति के शब्द 'एजेंसी'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि जो योग्यता रखी गयी है वह व्यक्ति के लिए संभव है, एजेंसी के लिए नहीं । रेखाचित्र तैयार करने वालों के लिए ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री धारित होना, यह डिग्री किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाती है बल्कि व्यक्ति को दी जाती है इसलिए एजेंसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, उसे विलोपित कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(7) की दूसरी पंक्ति के शब्द 'एजेंसी'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजय कुमार सिंह: जी करेंगे। महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(7) की नौवीं से दसवीं पंक्ति के शब्द समूह '' पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा'' के स्थान पर शब्द समूह '' बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों में से सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए पैनल तैयार किया जायेगा'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, इस खंड में कहा गया है कि ए0आई0सी0टी0ई0 एप्रुभड यू0जी0सी0, आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्रीधारित करने वाले अभ्यर्थियों का जिलावार पैनल तैयार किया जायेगा तब तो यह एक रास्ता खुल जायेगा कि यू0जी0सी0 से या जो अंगीभूत महाविद्यालय मान्यता प्राप्त है तो आप बिहार लोक सेवा आयोग में भी भर्त्ती इसी ढंग से करेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा वालों का इसलिए यह जरूरी है कि आप बिहार लोक सेवा आयोग से सक्षम लोगों की ही नियुक्ति उस रास्ते करें।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(7) की नौवीं से दसवीं पंक्ति के शब्द समूह '' पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा'' के

स्थान पर शब्द समूह '' बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों में से सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में सफल अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए पैनल तैयार किया जायेगा'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे । महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(7)की तेरहवीं एवं चौदहवीं पंक्ति के शब्द समूह ''रैयतों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जायेगा'' के स्थान पर शब्द समूह '' शुल्क का भुगतान सरकार करेगी'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है और यहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है । वैसे ही सरकार पहले से जमीन का एम0भी0आर0 इतना बढ़ा चुकी है कि भू-धारी व्याकुल है, लोक कल्याणकारी राज्य में दर्जनों योजनाएं ऐसी हैं जो नि:शुल्क सुविधा प्रदान करती है ऐसी स्थिति में शुल्क निर्धारण के बदले सरकार स्वयं शुल्क का भुगतान कर दे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन उप धारा-(7)की तेरहवीं एवं चौदहवीं पंक्ति के शब्द समूह 'रैयतों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जायेगा'' के स्थान पर शब्द समूह '' शुल्क का भुगतान सरकार करेगी'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड -4 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

'' विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''द्वारा'' एव शब्द ''की'' के बीच शब्द समूह '' 15 दिनों के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय।''

महोदय यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि वर्त्तमान समय में राज्य के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं महोदय यह सभी जन प्रतिनिधि महसूस करते हैं । अत: सभी जनप्रतिनिधि एवं जनता की आवाज को सुनते हुए तय समय सीमा 15 दिनों के अंदर अंत:स्थापित किया जाय महोदय और इसके लिए सी0ओ0 को भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय कि वे समय सीमा का ख्याल रखें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द '' द्वारा'' एव शब्द ''की'' के बीच शब्द समूह '' 15 दिनों के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-5 में तीन संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत अपना संशोधन मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव: महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द ''से'' एवं शब्द ''अभिलिखित'' के बीच शब्द समूह '' 15 दिनों के अंदर'' अंत: स्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द ''से'' एवं शब्द ''अभिलिखित'' के बीच शब्द समूह '' 15 दिनों के अंदर'' अंत: स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-15/मधुप/01.12.2021

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे, अध्यक्ष महोदय ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह ''गलत जॉच रिपोर्ट पाये जाने पर राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेगा'' जोड़ा जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि अंचल स्तर पर भूधारियों का बुरी तरह से दोहन किया जा रहा है । सरकार तकनीक के माध्यम से चाहे जितना प्रयास कर ले कर्मचारी और अंचलाधिकारी के स्तर पर लोगों को कर्मचारी या अंचलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने के लिये विवश किया जाता है । सम्पर्क नहीं करने की स्थिति में उनके दस्तावेज में जबरन कमी खोजकर साजिशन उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि गलत जांच रिपोर्ट पर यदि कड़ी कार्रवाई की जायेगी तो कोई दु:साहस नहीं करेगा भूधारियों के दोहन का । इसे सरकार स्वीकार कर ले।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह ''गलत जॉच रिपोर्ट पाये जाने पर राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेगा'' जोड़ा जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-6 में प्रस्तावित संशोधन के मद (ख) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''में'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द ''निपटारा'' के बीच शब्द समूह ''15 दिनों के अन्दर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि किसी भी कार्रवाई की कोई अधिकतम सीमा निश्चित रूप से निर्धारित होनी चाहिये । पंद्रह दिनों की सीमा निर्धारित करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 में प्रस्तावित संशोधन के मद (ख) की दूसरी पंक्ति के शब्द ''में'' एवं तीसरी पंक्ति के शब्द ''निपटारा'' के बीच शब्द समूह ''15 दिनों के अन्दर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-6 में प्रस्तावित संशोधन के मद (ग) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''द्वारा'' एवं शब्द ''किया'' के बीच शब्द समूह ''10 दिनों के अन्दर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि ऑनलाईन प्रक्रिया का सम्पादन अंचलाधिकारी द्वारा किया जाना है लेकिन विधेयक में इसके लिये समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है जिससे रैयत के भयादोहन की संभावना है । समय सीमा का निर्धारण नहीं रहने के कारण वे बार-बार राजस्व कर्मचारी के यहॉ एवं अंचल कार्यालय में जाकर चक्कर लगायेंगे और अंतत: विवश होकर चढ़ावा चढ़ाने के लिये विवश होंगे । जैसे अभी ऑनलाईन जमाबंदी करने के लिये अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी ड्यूटी बाउंड हैं परंतु प्रत्येक दस्तावेज पर अभी भी पांच से दस हजार का चढ़ावा अनिवार्य है । अत: समय सीमा का निर्धारण करने के पीछे मेरी मंशा है कि कम से कम शुद्धिकरण होगा, कमी आयेगी, भ्रष्टाचार में कमी आयेगी और हम समझते हैं कि यह सारे सदन का विषय है, सारे क्षेत्र का है । इसलिये सरकार इसे स्वीकार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 में प्रस्तावित संशोधन के मद (ग) की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''द्वारा'' एवं शब्द ''किया'' के बीच शब्द समूह ''10 दिनों के अन्दर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-7 में प्रस्तावित संशोधन की छठी पंक्ति के शब्द ''को'' एवं सातवीं पंक्ति के शब्द ''शुद्धि'' के बीच शब्द समूह ''हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, व्हाट्सएप एवं ईमेल पर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है ताकि रैयत को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें रेखा चित्र और राजस्व मानचित्र उपलब्ध हो जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-7 में प्रस्तावित संशोधन की छठी पंक्ति के शब्द ''को'' एवं सातवीं पंक्ति के शब्द ''शुद्धि'' के बीच शब्द समूह ''हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, व्हाट्सएप एवं ईमेल पर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह ''अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यदि इरादतन गलती पायी जायेगी तो अंचलाधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा'' जोड़ा जाय ।''

महोदय, यह भी पहले के जैसा ही है । अंचल स्तर पर इरादतन कागजात में गड़बड़ी बतायी जाती है और रैयत का दोहन किया जाता है ।

आपराधिक मुकदमा यदि दो-चार भी दर्ज हो जायेगा तो किसी अंचलाधिकारी की हिम्मत साजिश करने की नहीं होगी । इसलिये इसे सरकार मान ले ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-8 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में शब्द समूह ''अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में यदि इरादतन गलती पायी जायेगी तो अंचलाधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा'' जोड़ा जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-9 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

टर्न-16/आजाद/01.12.2021

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-9 में प्रस्तावित संशोधन की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''तीस'' को अंक ''180'' से प्रतिस्थापित किया जाय । ''

महोदय, डी0सी0एल0आर0 के फैसले को मात्र 30 दिनों के अन्दर ही चैलेंज करने का प्रावधान किया गया है, जो गलत है । आम जनता को फैसला आते-आते 30 दिनों का समय लग जाता है और कितना बेलगाम पदाधिकारी लोग हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप भली-भांति जानते हैं महोदय । इससे आम लोग न्याय पाने से वंचित रह जायेंगे । इसीलिए इसमें और अधिक समय 180 दिन का समय महोदय 30 दिनों के जगह पर 180 दिनों का समय, अपील का समय निर्धारित करने के उद्देश्य से इसको संशोधित किया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-9 में प्रस्तावित संशोधन की पांचवीं पंक्ति के शब्द ''तीस'' को अंक ''180'' से प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-9 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : स्वीकृति का प्रस्ताव । माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री राम सूरत कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021'' स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, आज बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि यह ऑनलाईन म्यूटेशन 2017 को 1 दिसम्बर को ही कानून यहां से बना था और आज मैप का भी म्यूटेशन हो, इसका भी 1 दिसम्बर का दिन शुभ दिन है, हम सभी लोग मिलकर इसको पास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसका उद्देश्य यही है कि हमलोग अपना दाखिल खारिज, केवाला, खेसरा, चौहद्दी का करते थे, लेकिन नक्शा का म्यूटेशन नहीं होता था जिस कारण से क्रेताओं को काफी पेरशानियां का सामना करना पड़ता था और फर्जी विक्रेता जैसे-तैसे लिखवाकर के बाहर से या जो लोग जानकार नहीं हैं, वैसे लोगों को कीमती जमीन को आगे से फ्रंट वाले जमीन को बेच दिया करते थे और एक ही जमीन को चार बार, अगर हम चार भाई हैं तो कोशिश करते थे कि हमारे जमीन का दाम ज्यादा मिले, इस संदर्भ में

क्या करते थे कि जब बंटवारा नहीं होता था और बखुदा बंटवारा के कारण और जाकर के वहां म्यूटेशन करवाकर के उस फ्रंट को बेच दिये और सामने वाली जमीन यदि कीमती है, कॉमर्शियल है तो उस जमीन को कोई आसानी से खरीद लेता था । फिर दूसरा व्यक्ति भी उस जमीन को खरीदता था और वे खरीददार आपस में लड़ाई करते थे और कहते थे कि इसमें भाई का अधिकार सभी का है, सबों को फ्रंट मिलना चाहिए । इसी चीज को हमने इसमें मूल रूप से मूर्त्त रूप दिया है । इसमें अब डिजिटल मैप होगा। अगर कोई खेसरा 100 डिसिमल का है, उसमें से अगर कोई व्यक्ति 20 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसका म्यूटेशन उसके मैप का भी हो जायेगा और 20 डिसमिल जो रकवा होगा, वह रकवा म्यूटेशन हो जायेगा और डिजिटल कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन देख सकता है कि अगला जो फ्रंट है, वह किस व्यक्ति ने बेचा है और किस व्यक्ति ने खरीदा है तो खरीददार समझ जायेगा और वह जाकर के जालशाजी में फंसने का काम नहीं करेगा । उसके साथ-साथ एक बड़ा लाभ होगा, हमारा अभी विशेष सर्वे का काम चल रहा है और मैं सभी भाईयों से सदन के अन्दर भी कहता हूँ और बाहर भी कहता हूँ कि आपलोग सबलोग यहां नेता हैं और आप सभी लोग अपने परिवार के मुखिया हैं, सदस्य हैं । आप सब लोग अपने-अपने परिवार का म्यूटेशन, जमाबंदी कायम करायें । जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि बिहार में जमीन विवाद में कमी आये । जो आज 50 से 60 प्रतिशत जमीन का विवाद थाने के अन्दर जाता है, वह हम सबके आपसी भाईयों के कारण जाता है । निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि जो लोग अंचल में जाकर के अपना म्यूटेशन, जमाबंदी सहमति पत्र लगाकर देंगे तो साथ-साथ आपका जो दाखिल खारिज, जो म्यूटेशन जमाबंदी कायम होता है, उसके साथ-साथ आपका नक्शा भी कायम हो जायेगा । जो सी0एस0 और आर0एस0 ऑलरेडी हार्ड कॉपी वही रहेगा लेकिन डिजिटल के अन्दर आपको पता चल जायेगा कि हमारे चार भाईयों में जो बंटवारा हुआ है, वह किस भाई का चौहद्दी किधर से है और किधर से उसको बेचेगा तो कायम होगा, बंटवारा में कुछ रहता है और चौहद्दी कुछ रहता है और वह जाकर बेच देता है, इस कारण से लोग विवाद में कोर्ट में चले जाते हैं । अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति बिका हुआ है, कोई दोबारा उसको फर्जी तरीके से बेचता है तो वह नियम आगे भी है कि आप डी0सी0एल0आर0 के कोर्ट में जाकर के, डी0एम0 के कोर्ट में जाकर के उसका संशोधन करवा सकते हैं । हम सभी लोग इस संशोधन को लाये हैं, इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष महोदय का, हम अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करते हैं । इस कानून को आने के बाद काफी लोगों को राहत मिलेगी और फर्जी विक्रेताओं पर नकेल कसा जायेगा और सामने वाले खरीददार को इसका लाभ मिलेगा । आप सभी लोग इसका साथ दिये, बहुत-बहुत धन्यवाद । नमस्कार ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।